अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों को संरक्षण देने से संबंधित नीति निदेशिका

बाली प्रक्रिया

लोगों की तस्करी, व्यक्तियों का अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराध

नीति निर्धारकों एवं व्यवसायियों हेतु प्राथमिक निदेशिका

बाली प्रक्रिया

मानव तस्करी, व्यक्तियों के अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराध से संबंधित बाली प्रक्रिया (बाली प्रक्रिया) वर्ष 2002 में शुरू हुई है और यह स्वैच्छिक व अबाध्यकर क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सरकारें सह-अध्यक्ष हैं और 45 देश एवं संगठन इसके सदस्य है |

इस नीति-निदेशिका से संबंधित पूछताछ हेतु क्षेत्रीय सहायक कार्यालय(RSO) बाली प्रक्रिया से इस पते पर संपर्क करें :

क्षेत्रीय सहायक कार्यालय (RSO) बाली प्रक्रिया
ई-मेल info@rso.baliprocess.net RSO वेबसाईट
http://www.baliprocess.net/regional-support-office

प्रकाशन
मई May 2015

आभार प्रदर्शन

यह नीति निदेशिका 'बाली प्रक्रिया नीति-निदेशिका प्रारूपण समिति' के नेतृत्व में, क्षेत्रीय सहायक कार्यालय के सहयोग से, बाली प्रक्रिया सदस्यों द्वारा विकसित की गई है जो निम्नानुसार हैं:

लालू मोहम्मद इकबाल
कार्यकारी निदेशक, इन्डोनेशियाई नागरिक संरक्षण एवं विधिक निकाय, विदेशी मामलों का मंत्रालय, इंडोनेशिया (सह-अध्यक्ष)

IOM • OIM

जोनाथन मार्टेनस
आप्रवासी सहायता इकाई प्रमुख, एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन (सह-अध्यक्ष)

Australian Government
Attorney-General's Department

मेगन चेलमेर्स
वरिष्ठ विधि अधिकारी
व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अनुभाग, अटॉर्नी जनरल विभाग, ऑस्ट्रेलिया

IMMIGRATION

मोहम्मद शिफान
उप-मुख्य आप्रवासन अधिकारी आप्रवासन एवं उत्प्रवासन विभाग, मालदीवस

रॉबर्ट लरगा
निदेशक, अनुज्ञप्ति एवं विनियमन
फिलिपीन विदेश रोजगार प्रशासन, फिलिपीन्स

पिन्थिप लीलाक्रियांगासक सृसनित
सरकारी अभियोजक
अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विभाग,
अटॉर्नी जनरल का कार्यालय, थाईलैंड

Regional Support Office
THE BALI PROCESS

प्रारूपण समिति के अन्य सहयोगी
टिम हॉव
IOM परियोजना समन्वयक
क्षेत्रीय सहायक कार्यालय

बाली प्रक्रिया

प्रस्तावना

वर्ष 2002 में बाली प्रक्रिया के प्रारम्भ से ही मानव तस्करी, व्यक्तियों के अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराध संबंधी (बाली) प्रक्रिया ने मानव तस्करी, व्यक्तियों के अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के परिणामों के प्रति क्षेत्रीय जागरूकता प्रभावी रूप से पैदा करने के साथ ही इस सम्बन्ध में एक व्यवहारिक रणनीति को विकसित एवं कार्यान्वित किया है | सभी 48 सदस्य-देश व अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा कई प्रेक्षक देश और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस स्वैच्छिक मंच पर व्यावहारिक रूप से सहभागिता कर रहीं हैं |

बाली प्रक्रिया के तदर्थ समूह की आठवीं बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान एवं उनके संरक्षण संबंधी मामलों में कुछ नीति-निदेश अपनाने की सिफारिश की जो पण धारक देशों के साथ परामर्श करके बाली प्राक्रिया क्षेत्रीय सहायक कार्यालय (RSO) द्वारा तैयार किये जाँये | इसी सन्दर्भ में, RSO ने इंडोनेशिया गणतंत्र की सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IMO) की सह-अध्यक्षता में नीति-निदेशिका प्रारूपण समिति का गठन किया, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, फिलीपींस, थाईलैंड एवं IOM के विशेषज्ञ शामिल हैं |

अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान एवं उनके संरक्षण संबंधी मामलों से जुड़े नीति निर्माताओं एवं व्यवसायियों हेतु संक्षिप्त परिचय निदेशिका विकसित करने के लिए छ: महीनों में समिति की चार बार बैठकें हुई | निदेशिका के प्रारूप बाली प्रक्रिया के सदस्यों एवं प्रेक्षकों को उनकी लिखित टिप्पणी हेतु परिचारित किये गए तथा बैंकाक, थइलैंड में 24-25 मार्च, 2015 को आयोजित बाली प्रक्रिया परामर्श कार्यशाला के दौरान इस पर व्यापक रूप से चर्चा और समीक्षा की गई | अवैध कारोबार के शिकार लोगोंकी पहचान और उनके संरक्षण से जुड़े नीति-निर्माताओं एवं व्यावसायिकों के सुलभ सन्दर्भ-हेतु तैयार की गई इस नीति-निदेशिका की उपयोगिता से प्रतिभागी सहमत थे | सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों के सन्दर्भ में, प्रारूपण समिति ने महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं संस्तुतियों का समावेश करते हुए प्रारूप में आशोधन किया |

इस नीति-निदेशिका का उद्देश्य अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान एवं उनके संरक्षण के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मानकों का विहंगावलोकन कराते हुए बाली प्रक्रिया के सदस्य देशों को स्वस्थ परम्पराओं के आदर्श उदाहरणों की ओर खास तौर पर आकर्षित करना है | अप्रैल 2013 में आयोजित पांचवे मंत्री-स्तरीय सम्मलेन में की गई संस्तुतियों के अनुसार ये नीति-निदेश बाली प्रक्रिया नीति-निदेशिका के दूसरे सेट हैं, जो बाली प्रक्रिया की भावानाओं के अनुरूप हैं और बाली प्रक्रिया के सदस्यों की विशेष चिंताओं के सन्दर्भ में प्रासंगिक हैं | ये स्वैच्छिक, अबाध्यकर तथा बाली प्रक्रिया के सदस्य देशों में कार्यरत घरेलू एजेंसियों के सुलभ सन्दर्भ हेतु काम में लाये जाने के लिए हैं |

लिसा क्राफोर्ड
RSO सह-प्रबंधक (ऑस्ट्रेलिया)

बेबेब AKN द्जुन्द्जुनन
RSO-सहप्रबंधंक (इंडोनेशिया)

Regional Support Office
The Bali Process

आद्यक्षर शब्द एवं शब्दों का संक्षिप्त रूप

एसियान	दक्षिणी-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ
बाली प्रक्रिया	मानव तस्करी, व्यक्तियों के अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराध संबंधी बाली प्रक्रिया
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आइ ओ एम्	आप्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
संगठित अपराध समझौता	संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता
आरएसओ	बाली प्रक्रिया हेतु क्षेत्रीय सहायक कार्यालय
व्यक्तियों के अवैध व्यापार संबंधी प्रोटोकॉल	व्यक्तियों,, विशेषत: महिलाओं और बच्चों के अवैध कारोबार की रोकथाम, दमन, व दंड देने तथा संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते का पूरक प्रोटोकॉल विषय
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनओडीसी	नशीली दवाओं एवं अपराधों की रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय

विषय सूची

कार्यपालक से सार-संक्षेप **2**

अनुभाग 1: **अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों के संरक्षण की प्रस्तावना** **3**

1.1. अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा 3

1.2. संरक्षण से संबंधित चुनौतियाँ 5

1.3. संरक्षण संबंधी विचारणीय बातें, प्रमुख उत्तरदायित्व एवं हित 6

अनुभाग 2: **संरक्षण का क्रियान्वयन** **8**

2.1. प्रारम्भिक संरक्षण 8

2.2. आपराधिक न्याय प्रक्रिया द्वारा संरक्षण 10

2.3. स्थायी संरक्षण समाधान 14

अनुभाग 3: **समन्वय एवं बहु पणधारक दृष्टिकोण** **17**

3.1. पण-धारकों का संरक्षण 17

3.2. राजनीतिक स्तर पर समन्वय 19

3.3. परिचालानात्मक स्तर पर समन्वय 20

अनुभाग 4: **अवैध कारोबार के शिकार हुए व्यक्तियों को संरक्षण देने के संकेतों** **22**

कार्यपालक से सार संक्षेप

व्यक्तियों का अवैध कारोबार एक गंभीर अपराध है जिसके गंभीर मानवाधिकार परिणाम हैं | 'व्यक्तियों (खास तौर पर महिलाओं और बच्चों) के अवैध कारोबार की रोकथाम, दमन एवं दंड देने से संबंधित प्रोटोकॉल' (ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रोटोकॉल) के तहत अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते एवं क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों के अनुसार अवैध कारोबार के शिकार हो चुके व्यक्तियों का संरक्षण राज्यों के लिए अनिवार्य है | अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को संरक्षण देना भी आपराधिक न्याय प्रक्रिया की एक प्रभावी बुनियाद है; जब तक इन्हें समुचित संरक्षण नहीं मिलता तब तक अवैध कारोबारियों के विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सहायक बनने में ये सक्षम नहीं होंगे|

व्यक्तियों के अवैध कारोबार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु यह नीति-निदेशिका राज्यों को यह सुझाव देती है कि उन्हें **'पीड़ित-केन्द्रित दृष्टिकोण'** अपनाना चाहिए, जो अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करें एवं तदनुसार कार्रवाई करें | आपराधिक न्याय प्रणाली में उनकी प्रतिभागिता अवैध कारोबारियों के शिकार हुए लोगों के संरक्षण की कीमत या शर्त पर नहीं होनी चाहिए | उकत संरक्षण प्रदान करने में राज्य के प्राधिकारियों को जहाँ चुनौतियां आने का अंदेशा होता है, वहां उनके काम में सहयोग दिया जाता है और तत्संबंधित कानूनी ढाँचे एवं सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप उनका मुकाबला करने का समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है |

संरक्षण देने संबंधी अनिवार्यताओं को क्रियान्वित करने के लिए, राज्यों को चाहिए कि वे अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को, उनसे पहली मुलाकात होने से लेकर सामाजिक व आर्थिक रूप से कुछ हद तक उनके आत्म-निर्भर होने तक और अधिक नुकसान से बचाते रहें | दिए जानेवाले प्रारम्भिक संरक्षण से उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पर्ति होनी चाहिए और उसमें आत्म-चिंतन की अवधि भी होनी चाहिए, ताकि वे शारीरिक व मानसिक तौर पर अतीत के अनुभवों से उबरते हुए और उनसे सबक लेकर अपने भाविष्य के बारे में निर्णय ले सकें; जिसमें आपराधिक न्याय प्रक्रिया में शामिल होने या ना होने का निर्णय भी शामिल है | जो लोग ऐसा करना चाहते हों तथा ऐसा करने के योग्य हों, उन्हें प्राक्रिया के प्रत्येक चरण में अपने विचार एवं चिंताएं व्यक्त करने देना, उनपर विचार करना और उनपर यथोचित कार्रवाई करना एक अच्छी प्रथा मानी जाती है| अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति को आसन्न खतरे के स्वरुप निरंतर बदलते रहने के कारण जोखिमों का आकलन करते हुए संरक्षण योजना भी बदलती रहनी चाहिए |

प्रभावी एवं स्थायी संरक्षण उपाय शिकार हुए व्यक्ति को उसकी स्वायत्तता की पुनर्प्राप्ति तथा उसके समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में आत्म-निर्भर प्रतिभागी के रूप में उसके समावेश में सहायक होता हैं| यह नीति-निदेशिका संबंधित व्यक्ति को सफलतापूर्वक सामान्य स्थिति में लाने एवं समाज में उसके पुनर्समावेश में फौजदारी या दीवानी प्रक्रिया के माध्यम से क्षतिपूर्ति तक पहुँच के महत्वपूर्ण कारक बताती है | आत्म-चिंतन एवं अपने अनुभवों से उबरने की अवधि अथवा अवैध कारोबारी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही पूरी होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अवैध कारोबार के शिकार लोग अपने मूल-देश में जा सकते हैं, उस देश में भी रुक सकते हैं जहाँ उनकी पहचान हुई है या कहीं और भी जाकर बस सकते हैं | अवैध कारोबार की शिकार हुए व्यक्ति के हित में सर्वोत्तम विकल्प का निर्धारण करते समय उसके विरुद्ध बदले की कार्रवाई और उसे डराने-धमकाने की आशंका पर अवश्य विचार करना होगा |

हालांकि अवैध कारोबारियों के शिकार हुए लोगों के संरक्षण की उत्तरदायित्व राज्यों का है, फिर भी, इस उत्तरदायित्व को निभाने में राज्यों को सहयोग देने में अन्य कार्यकरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है| अत: राज्यों के बीच आपसी तथा राज्यों व गैर सरकारी कार्यकारों के बीच पारस्परिक **समन्वय** अत्यधिक महत्वपूर्ण है | गैर-सरकारी कार्यकर अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों के साथ विश्वास व संपर्क कायम करने और उनकी संरक्षण आवश्यकताओं को समझने तथा उनको पूरा करने हेतु व्यापक एवं प्रभावी रूप से सेवा प्रदान करने में विशेष रूप से कुशल हो सकते हैं | प्रभावी संरक्षण हेतु राज्यों में भी पारस्परिक सहयोग अपेक्षित है.| बाली-प्रक्रिया सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जो मज़बूत **दविपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग तंत्र** है वह संरक्षण से संबंधित **सहयोग को** मजबूत आधार प्रदान करता है | यह नीति-निदेशिका वह उपकरण है जो संरक्षण प्रक्रिया को विकसित करने एवं समग्र क्षेत्र में उसके मानकीकरण के महत्वपूर्ण कार्य में राज्यों को उपयोगी होगा |

अनुभाग:1

अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों के संरक्षण की प्रस्तावना

1.1. अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते (द ऑर्गनाइजड क्राइम कन्वेंशन) के अनुच्छेद 25 के अनुसार राजकीय पक्ष के लिए यह अनिवार्य है कि अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को, खास तौर पर उनके विरुद्ध बदले की कार्रवाई या डराने-धमकाने की आशंका के मामलों में, सहायता एवं संरक्षण दिया जाय तथा उक्त शिकार लोगों के पुन:प्रतिष्ठित करने व क्षतिपूर्ति करने हेतु समुचित प्रक्रिया स्थापित की जाय | 'व्यक्तियों (खास तौर पर महिलाओं एवं बच्चों) के अवैध कारोबार की रोकथाम, दमन एवं दंड देने के प्रोटोकॉल (ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रोटोकॉल) के घोषित उद्देश्यों में से एक उक्त शिकार हुए लोगों को संरक्षण देना है जो संगठित अपराध समझौते का पूरक है| ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 के अनुसार राज्यों को चाहिए के वे:

- समुचित मामलों में, यथासंभव, अवैध कारोबार के शिकार लोगों की निजता व पहचान को संरक्षित रखें जिनमें कानूनी कार्यवाही की गोपनीयता भी शामिल है (अनुच्छेद 6(1)):
- समुचित मामलों में, आपराधिक मुकदमों के दौरान, अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यावाहियों की जानकारी देते रहें, और उनके विचार एवं चिंताओं से न्यायलय को इस तरीके से अवगत कराते रहें कि उनकी सुरक्षा पर कोई आंच न आए; (अनुच्छेद 6(2))
- अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पुनर्लाभ के लिए समुचित आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ सलाह व सूचना, चिकित्सा ,मनोवैज्ञानिक एवं वस्तुपरक सहायता पहुंचाते रहें और रोजगार, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अवसर प्रदान करते रहें;(अनुच्छेद 6(3))
- अवैध कारोबार के शिकार लोगों की शारीरिक सुरक्षा के प्रयास करते रहें (अनुच्छेद 6(5))
- यह सुनिश्चित करें कि कानूनी प्रणाली में अवैध कारोबार के शिकार लोगों के नुक्सान की भरपाई की संभावनाएं विद्यमान हैं (अनुच्छेद 6(6))

व्यक्तियों के अवैध कारोबार के प्रोटोकॉल में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की उम्र, लिंग एवं व्यक्तिगत ज़रूरतों, खास तौर पर बच्चों की विशेष आवश्यकताओं , यथा समुचित आवास, शिक्षा एवं देख-भाल का ध्यान रखें |

संकेत: अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों के संरक्षण हेतु मुख्य सिद्धांतों का अनुसरण करें

- अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति को, पीड़ित होने के सुस्पष्ट कारण से राज्य में अनियमित रूप से घुसने या रहने या उनके द्वारा किये गए किसी अन्य अवैध कार्यों या अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, उनपर आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए, मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए |
- अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की पर्याप्त शारीरिक एवं मानसिक देखभाल सेवाओं तक पहुँच होनी चाहिए |
- शिकार हो चुके लोगों को फौजदारी, दीवानी या अन्य कार्यवाहियों के द्वारा कानूनी व अन्य मदद दी जानी चाहिए
- अवैध कारोबार के शिकार हुए बच्चों को उनकी विशेष संवेदनशीलताओं, अधिकार एवं ज़रूरतों के अनुसार समुचित सहायता व संरक्षण दिया जाना चाहिए |
- प्राप्तकर्ता एवं मूल राज्य द्वारा शिकार हो चुके लोगों को (यथासंभव, स्वेच्छया) सुरक्षित वापसी की गारंटी दी जानी चाहिए |
- अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को प्रभावपूर्ण और समुचित कानूनी उपाय दिए जाने चाहिए|

मानवा धिकार आयुक्त के कार्यालय (OHCHR) के द्वारा संस्तुत 'मानवाधिकार एवं मानव का अवैध कारोबार से संबंधित सिद्धांत एवं दिशानिदेश को देखें |

व्यक्तियों के अवैध कारोबार संबंधी प्रोटोकॉल के उपबंधों को व्यापक रूप में, अवैध कारोबार का शिकार हुए लोगों को सहायता एवं संरक्षण देने के अंतर्राष्ट्रीय मानकीय ढाँचे के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए| अनुच्छेद 14(1) के अनुसार प्रोटोकॉल को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम एवं मानवीयता नियम सहित अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप समझा जाना चाहिए|

संकेत: संरक्षण के उपबंधों को अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुसर क्रियान्वित करें:

राज्यों को उन राज्यों के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो व्यक्तियों के अवैध कारोबार संबंधी प्रोटोकॉल में विहित न्यूनतम मानकों से कहीं अधिक,आपराधिक कार्यावाही से बाहर तथा इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति योजना लागू कर चुके हैं|

शरणार्थियों के स्तर से संबंधित समझौते 1951 तथा शरणार्थियों के स्तर प्रोटोकॉल 1967 एवं वापस न भेजने के सिद्धांत का सन्दर्भ देते हुए इस बात पर जोर दिया जाता है कि राज्य किसी शरण माँगनेवाले या शरणार्थी को ऐसे स्थान पर निष्कासित / वापस नहीं भेज सकते जहां उसकी ज़िंदगी अथवा आज़ादी को उसकी नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता,किसी ख़ास सामाजिक समूह में उसकी सदस्यता अथवा राजनीतिक राय[1] के कारण ख़तरा हो |इसके अलावा, व्यक्तियों के अवैध कारोबार संबंधी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 14(2) के अनुसार,इनके क्रियान्वयन हेतु किये गए सभी उपाय निष्पक्षता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात,किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, भले ही उसके आव्रजन का या अन्य स्तर कुछ भी क्यों न हो |

अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोगों के संरक्षण में गैर-जबरन-वापसी, अर्थात 'नॉन-रेफौलमेंट'

राज्यों का यह उत्तर्दायित्व है कि वह किसी भी व्यक्ति को ऐसे राज्य में वापस न भेजे जहाँ उसके जीवन या स्वातंत्र्य को खतरे का अंदेशा हे; अथवा उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है| यह नियम सब पर लागू होता है और अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों के संरक्षण के सन्दर्भ में तो यह महत्वपूर्ण है |[2] खास तौर पर बच्चों के सन्दर्भ में बाल-अधिकार समिति ने यह व्यवस्था दी है कि "मूल देश में वापसी तब कोई विकल्प नहीं हो सकता जब उससे किसी बच्चे के मूलभूत मानवाधिकारों के उल्लंघन का खतरा हो; खास तौर पर जहां गैर-जबरन वापसी' सिद्धांत लागू होता हो| मूल देश में बच्चों की वापसी, सिद्धांतत: तब ही हो सकती है जबकि वह बच्चों के सर्वोत्तम हित में हो"[3]

अवैध कारोबार के शिकारग्रस्त बच्चों के सम्बन्ध में, बाल-अधिकार समझौते (CRC) का अनुच्छेद 39 राज्यों के लिए बाल-पीड़ितों हेतु शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य-लाभ और समाज की मूलधारा में उनके समावेश को अनिवार्य बना देता है| CRC के अनुच्छेद 3 के अनुसार बच्चों से समबन्धित सभी मामलों में राज्यों के लिए बच्चों के सर्वोत्तम हित पर विचारना अनिवार्य है| अवैध कारोबार के शिकार हुए बच्चों को सहायता एवं संरक्षण देने से संबंधित प्रक्रिया एवं दिशानिदेशों में बच्चों के सर्वोत्तम हितों की विचारधारा का औपचारिक समावेश किया जाना चाहिए | जहाँ अवैध कारोबार का शिकार हुआ व्यक्ति ब्याजवी रूप से 18 वर्ष से कम उम्र का माना गया हो, उसे आयु-प्रमाण पत्र के बिना बाल-पीड़ितों की ही तरह उच्चतर स्तर की सहायता एवं संरक्षण का हकदार माना जाना चाहिए, जब तक कि समुचित उम्र निर्धारण से उसकी सही उम्र ज्ञात नहीं होती |

1. शरणार्थियों के स्तर पर 1951 के शरणार्थी समझौते का अनुच्छेद 33 (1) अत्याचार के विरुद्ध समझौते का अनुच्छेद 3 तथा सभी व्यक्तियों को जबरन गायब किये जाने से संबंधित संरक्षण देने का अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अनुच्छेद 16 देखें |नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अनुच्छेद 7 भी देखें, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने इसकी व्याख्या वापस भेजने से रोकने के अर्थ में की है| देखें मानवाधिकार आयोग (HRC) CCPR जनरल कमेन्ट नंबर 20 अनुच्छेद 7 (अत्याचार या अन्य निर्दयी, अमानवीय , स्तरहीन व्यवहार या दंड,) 10 मार्च ,1992, पैराग्राफ 9|
2. शरणार्थियों के स्तर से संबंधित 1951 के शरणार्थी समझौता | अनुच्छेद 33(1) व्यक्तियों के कारोबार अवैध प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 14 तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से समबन्धित अंतर्राष्ट्रीय समझौता 16 दिसंबर 1966, अनुच्छेद 6 व 7 भी देखें| शरणार्थियों को वापस न भेजने का सिद्धांत भी परम्परागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप ले चुका है |
3. बाल-अधिकार समिति, जनरल कमेंट नं 6 (2005) अपने मूल देश से बाहर बिछुड़ गए लावारिस बच्चों के साथ व्यवहार , पाराग्राफ 84. राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों का सर्वोत्तम हित निर्धारित करनेवाले प्राधिकारी बाल-हितों की कीमत पर राज्य सहित अन्यों के हित-साधन किये बिना अपना काम कर सकते हैं | अधिक जानकारी के लिए बच्चों के सर्वोत्तम हितों का निर्धारण संबंधी UNHCR दिशानिदेश मई 2008 देखें, जो : http://www.refworld.org/ docid/48480c342.html पर उपलब्ध है |

राज्य के अधिकार क्षेत्र में शामिल गैर-नागरिक सहित सभी व्यक्तियों के जन्मजात मानवाधिकार हैं| नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR) जिसमें गुलामी, दासता,एवं जबरन मजदूरी से मुक्ति के अधिकारों का निर्देश है- उन लोगों के प्रभावी निवारक अधिकारों की पुष्टि करता है जिनके मानवाधिकारों का हनन हुआ है | संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् ने कहा है कि प्रभावी निवारक उपाय करने के अधिकार के निहितार्थ में यह अनिवार्यता है कि दोषियों को न्याय के दायरे में लाया जाय और शिकार हुए लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाय |

कई शर्तें और मानक गैर-नागरिक शिकार या पीड़ित लोगों और साक्षियों को संरक्षण देने के प्रति राज्यों के उत्तरदायित्वों पर जोर देते हैं | [4] इस सम्बन्ध में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद 5(बी) तथा सभी आवृजित मजदूरों एवं उनके परिवार-जनों के संरक्षण के अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद 16(2) विशेष रूप से सुसंगत हैं| इन उपबंधों के तहत राजकीय पक्षों को चाहिए कि वे अनियमित स्थिति वाले व्यक्तियों सहित उन सभी लोगों को प्रभावी आपराधिक न्याय संरक्षण दें जो शारीरिक अथवा यौन हिंसा के शिकार हो सकते हैं, चाहे यह हिंसा राज्य के अधिकारियों द्वारा या निजी कार्यकारों द्वारा की गई हो|

कई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) समझौते भी लागू होते हैं| जबरन या अनिवार्य श्रम समझौता नं..29(1930) एवं उसका प्रोटोकॉल 2014 (जून 2014) जबरन मजदूरी और व्यक्तियों के अवैध कारोबार के शिकार लोगों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करते हैं | जबरन मजदूरी पर संस्तुति क्रमांक 203 (पूरक उपाय) शिकारग्रस्त लोगों को क्षतिपूर्ति सहित संरक्षण उपायों को दर्शाता है तथा घिनौने प्रकार के बाल-श्रम से संबंधित समझौता क्रमांक 182 बाल-संरक्षण सुलभ कराता है| इसके अलावा घरेलू नौकरों से न्यायोचित काम लेने से संबंधित समझौते क्रमांक 189 में सदस्य देशों से इस आशय के संविदा की अपेक्षा की गई है कि वे घरेलू नौकरों के मानावाधिकारों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि नौकरों को उनकी यात्रा एवं पहचान संबंधी दस्तावेज़ रखने का हक़ है और निजी रोजगार एजेंसियों को भी नियमित करेंगे |

1.2. संरक्षण से संबंधित चुनौतियाँ

आव्रजन या अन्य स्तर चाहे कुछ भी क्यों न हो, व्यक्तियों के अवैध कारोबार के शिकार हुए या पीड़ितों [5] को और अधिक क्षति से बचाया जाना चाहिए | शिकार ग्रस्तों की रक्षा करना राज्यों का उत्तरदायित्व है ताकि उनके मानवाधिकारों का सम्मान रखा जा सके| किसी आपराधिक मुकदमें के दौरान शिकार हुए व्यक्ति के संरक्षण के साथ-साथ उसेक साक्षी बने पीड़ित व्यक्ति का संरक्षण भी 'ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स' प्रोटोकॉल [6] के अनुच्छेद 3 में परिभाषित 'व्यक्तियों के अवैध कारोबार के विरुद्ध प्राभावी एवं व्यापक कार्रवाई की बुनियाद है |

अवैध कारोबार के संभावित शिकार व्यक्तियों [7] को पहचानने की प्रारम्भिक चुनौतियों के आगे राज्यों को अपने संरक्षण उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कई अतिरिक्त चुनौतियाँ का भी सामना करना पड़ता हैं| अवैध कारोबार के शिकार लोग इस आधार पर राज्य के संरक्षण में रहना नहीं चाहते कि राष्ट्रीय प्राधिकारी उन्हें पहचान लेंगे [8] उन्हें राजकीय संस्थानों पर तथा पीड़ित लोगों व उनके परिवार-जनों को आशंकित क्षति से बचाने की उनकी क्षमता पर आस्था और विश्वास नहीं भी हो सकता,. खास तौर पर, जब उनके परिवार-जन अन्य राज्य या अधिकार क्षेत्र में होते हैं| | कुछ शिकारग्रस्त लोग तो राष्ट्रीय प्राधिकारियों की अपेक्षा अपने अवैध कारोबारियों के नियंत्रण में ही रहना पसंद करते हैं | चूंकि पीड़ित लोग भिन्न-भिन्न उम्र,लिंग, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि के होते हैं तथा सबके अलग-अलग अनुभव, अभिप्रेरण, एवं लक्ष्य होते हैं, सबको 'एक ही लकड़ी से हांकना' असरकारक

4.उदाहरण के लिए देखें, अपराध के शिकार लोगों के लिए न्याय और सत्ता के दुरूपयोग से संबंधित बुनियादी सिद्धांतA/RES/40/34 (29 नवम्बर,1985) के संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में दिए गए 'पीड़ित एवं साक्षी से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 6(d); शिकारग्रस्त बच्चों एवं साक्षियों से संबंधित मामलों में न्याय संबंधी दिशानिदेश (क्रमांक 32-34) UNTOC के अनुच्छेद 24 से 26; व्यक्तियों के अवैध कारोबार से संबंधित प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 से 8; भू, समुद्री, वायु मार्ग से आव्रजकों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 16(2) जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट समझौते (स्मगलिंग ऑफ़ माइग्रेंट प्रोटोकॉल) का पूरक है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते (31 अक्टूबर 2003 A/58/422 UN जनरल असेंबली का अनुच्छेद 32

5.इस पूरे दस्तावेज़ में 'व्यक्तियों, ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों के अवैध कारोबार' की रोकथाम, दमन, एवं दंड के लिए प्रोटोकॉल (ट्रैफिकिंग इन परसन प्रोटोकॉल) के अनुच्छेद 3 में परिभाषित 'व्यक्तियों के अवैध कारोबार' वाक्यांश के लिए 'मानव का अवैध कारोबार' वाक्यांश का प्रयोग किया गया है. अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों की पहचान से संबंधित नीति निदेशिका बाली प्रक्रिया 2015 को भी देखें |

6.अधिक जानकारी के लिए व्यक्तियों के अवैध कारोबार के अपराधीकरण से संबंधित नीति-निदेशिका, बाली प्रक्रिया 2014 देखें

7.अधिक जानकारी के लिए अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान से संबंधित नीति-निदेशिका, बाली प्रक्रिया 2014 देखें

8.अधिक जानकारी के लिए अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान से संबंधित नीति-निदेशिका, बाली प्रक्रिया 2014 का अनुभाग 2 देखें

नहीं होगा [9] गैर-नागरिक जिन्हें उस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है जहाँ उनकी पहचान हुई है, उन्हें संरक्षण सेवाओं तक पहुँचने की राह में खास प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन, दावों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है; किन्तु आव्रजन -स्तर चाहे कुछ भी क्यों न हो, सभी व्यक्ति ऐसी सेवाओं को पाने के हकदार हैं| [10]

1.3. संरक्षण संबंधी विचारणीय बातें, प्रमुख उत्तरदायित्व एवं हित

संरक्षण व्यक्तियों के अवैध कारोबार के व्यापक प्रत्युत्तर का एक आवश्यक अंग है | [11] जब तक अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों का प्रभावी संरक्षण नहीं होता, उनका शोषण जारी रह सकता है, अपने शोषण से वे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, या अवैध कारोबार के पुन:शिकार हो सकते हैं | राज्यों का उत्तरदायित्व है कि इन पीड़ितों को संरक्षण दें, भले ही वे आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सहभागिता के लिए सहमत हों, या ना हों | जहां ऐसे शिकारग्रस्त लोग जांच व मुकदमे की कार्यवाही में प्रतिभागिता के इच्छुक हों, वहां अवैध कारोबारियों की धर-पकड़, जांच-पड़ताल एवं मुकदमेबाजी में, राज्य के हित-रक्षण की दृष्टि से, उनके साक्ष्य अहमियत रखते हैं, जिससे अपराधों को रोकथाम एवं निवारण में प्रगति होती है| शिकार हो चुके लोगों के प्राभावी संरक्षण को सुनिश्चित करने से इस संभावना को बल मिलता है कि वे अवैध कारोबारियों को सज़ा दिलाने के क़ानून प्रवर्तन प्रयासों में प्रतिभागी होंगे |

प्रभावी होने के लिए, राज्य का दृष्टिकोण, व्यापक एवं पीड़ित केन्द्रित होना चाहिए, जिसके अनुसार शिकार हुए प्रत्येक व्यक्ति की निजी ज़रूरतों एवं हितों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है| संरक्षण एवं सहायता संबंधी मुख्य विचारणीय बातें निम्नानुसार हैं:

- शिकार हुए कुछ लोग घर जाकर अपनी परिवार से जुड़ना चाहेंगे | अन्य लोग तत्काल अपने समुदाय में नहीं लौट सकते, और उन्हें परामर्श, शारीरिक व मानसिक इलाज तथा / या कानूनी उपायों की ज़रुरत हो सकती है, जिसमें अवैध कारोबार की जांच-पड़ताल और मुकदमें में प्रतिभागिता भी शामिल है|
- शिकारग्रस्त कुछ लोग स्वदेश लौट ही नहीं सकेंगे क्योंकि उनके मूल देश में रोजगार देनेवाले या अन्य लोग उनके लिए खतरा बने रहेंगे| ऐसे मामलों में सबसे अच्छी प्रथा उन्हें उस राज्य में स्थायी तौर पर संरक्षण देते रहना है, जहां उनकी पहचान की गई है या तीसरे राज्यों में संरक्षण देना है |
- राज्यों की संरक्षण सेवाओं को किसी भी श्रेणी के व्यक्तिको वंचित या उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जैसे- घरेलू अवैध कारोबार के शिकार हुए लोग |
- व्यक्तियों की ज़रूरतों के अनुसार संरक्षण दिए जाने चाहिए और अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों द्वारा अनुभूत विनिर्दिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए विशेष कुशलता प्राप्त एवं अनुभवी सेवा प्रदायकों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए| कुछ व्यक्तियों को अवैध कारोबारियों की ओर से बदलेकी कार्रवाई का डर लगता है,तो कुछ को संरक्षण देने में अडचने आ सकतीं हैं, जिन्हें दूर किया जाना ज़रूरी है| कुछ पीड़ितों को पुनर्लाभ में अधिक समय लग सकता है या उन्हें किसी ख़ास प्रकार की सेवाओं की ज़रुरत हो सकती है|
- पीड़ित लोगों को विशेष संरक्षण तब ही सुनिश्चित किया जा सकता है जब राज्यों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में गैर सरकारी कार्यकरों का सहयोग मिलता है|
- अवैध कारोबार के शिकार लोगों को स्वायत्तता होनी चाहिए और उनको दी जा रही सहायता व संरक्षण संबंधी निर्णयों में उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए|| उनकी व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिनमें उनकी उम्र, लिंग, सेक्स, यौन उन्मुखता, राष्ट्रीयता, नस्लीय अथवा सामाजिक मूल, विकलांगता एवं अन्य लक्षण शामिल हैं|

किसी आपराधिक न्याय प्रक्रिया से जुड़े होने के कारण जिस समय उनकी पहचान हुई थी, उस समय से लेकर प्रक्रिया के पूरी होने तक अवैध कारोबार से पीड़ित लोगों की संरक्षण संबंधी जरूरतें बदल सकतीं हैं| तदनुसार, बदलती हुई ज़रूरतों के अनुरूप संरक्षण सेवा की परिवर्तनशीलता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को समय-समय पर जोखिमों का आकलन करते रहना चाहिए|
चूंकि व्यक्तियों का अवैध कारोबार एक सीमा-पार अपराध है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ए) शिकार हुए लोगों के संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं गैर राष्ट्रीय, दोनों प्रकार के पीड़ितों पर लागू होते हैं ; बी) संगठित अपराध

9.कुछ देशों में अवैध कारोबार के शिकार लोगों को उनके व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर अपर्याप्त सेवाएं दी जाती है, जैसे केवल महिलाओं को सुरक्षित आवासीय सुविधा सुलभ करायी जाती है |

10.और अधिक जानकारी के लिए अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की पहचान संबंधी नीति-निदेशिका, बाली प्रक्रिया 2015 के अनुभाग 2(2) को देखें|

11.See Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015, section 2.1. “Why identification is important”.

से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा व्यक्तियों के अवैध कारोबार संबंधी प्रोटोकॉल में दिए गए उपबंधों के अनुसार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा एवं न्यायाधिकार क्षेत्र से संबंधित मामले- पीड़ितों के संरक्षण हेतु राज्य की कार्य क्षमता में बाधा नहीं डालते | अवैध कारोबारियों के शिकार हुए लोगों को शरण देनेवाले देशों के 'कौंसुलर एजेंट भी पीड़ितों से पहले संपर्क-स्थल पर ही उनकी पहचान तथा सहायता एवं संरक्षण देने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें समुचित सुविधाएं दी जानी चाहिए [12]

'पीड़ित केन्द्रित' दृष्टिकोण को लागू किया जाना सुरक्षा, गोपनीयता, एवं निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए भले ही पीड़ित व्यक्ति आपराधिक न्याय प्रक्रिया में प्रतिभागी हो या न हो|

सुरक्षा: अवैध कारोबारी न केवल अपने शिकार हुए लोगों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी गंभीर खतरा हैं |

- अत: पीड़ितों और उनके परिवारों व अन्यों को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए |

गोपनीयता: गोपनीयता न रह जाने से पीड़ितों एवं उनके परिवार-जनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है | पीड़ितों व उनके परिवार-जनों को, ख़ास तौर पर यौन शोषण के मामलों में, अक्सर आम जनता से सदमा पहुँचने का डर बना रहता है| उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए:

- शिकार हुए लोगों की सहमति मिलने के बाद ही कोई जानकारी दूसरों को दी जानी चाहिए और यथासंभव बहुत ही कम लोगों तक यह सीमित रहनी चाहिए, ताकि शिकार हुए व्यक्ति की जानकारी गोपनीय बनी रहे|
- जहां कोई पीड़ित , और अधिक सहायता पाने के लिए किसी विशिष्ट एजेंसी को अपनी जानकारी दिये जाने पर सहमति जताता है, वहां संबंधित एजेंसी या अन्य संबंधित लोग, जैसे मीडिया, को जानकारी की गोपनीयता के बारे में विधिवत जानकारी दी जानी चाहिए |

निष्पक्षता: सभी पीड़ितों के संरक्षण में, बिना किसी भेद-भाव के सावधानी बरती जानी चाहिए|

- व्यक्तिगत लक्षण चाहे जैसे भी हों, शिकार हुए लोगों को संरक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए [13]
- राज्यों को, भेद-भाव से न केवल बचना चाहिए बल्कि अवैध कारोबार के शिकार लोगों को संरक्षण देने में लगे निजी एवं राजकीय, दोनों ही प्राकर के कार्यकारों द्वारा किये जा रहे सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए |

संकेत: सुनिश्चित करें कि संरक्षण का दृष्टिकोण 'पीड़ित-केन्द्रित' है

यह सुनिश्चित करें कि अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को संरक्षण देने का दृष्टिकोण 'पीड़ित- केन्द्रित' है, जिसमें शिकार हुए लोगों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा एवं तत्संबंधित जानकारी की गोपनीयता सर्वोपरि होती है| ऐसे पीड़ित लोगों का संरक्षण कार्यक्रम निष्पक्ष रूप से एवं विशेषज्ञ गैर सरकारी संगठनो के सक्रिय सहयोग से, सभी लोगों पर लागू किया जाना चाहिए तथा इसमें पीड़ितों की व्यक्तिगत आवाश्यकताओं को भी अंगीकार किया जाना चाहिए|

12.अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की पहचान से संबंधित नीति निदेशिका, बाली प्रक्रिया 2015 के अनुभाग 2.1 'पहचान महत्वपूर्ण क्यों है' को देखें |

13 अधिक जानकारी के लिए देखें : अनुभाग 1.2 यूरोपियन यूनियन

अनुभाग:2

संरक्षण का क्रियान्वयन

अवैध कारोबार के शिकार लोगों को तीन प्रमुख सन्दर्भों में संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है:

1. प्रारम्भिक संरक्षण
2. आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दौरान
3. स्थायी आधार पर, उनके पुनर-एकीकरण को सुगम बनाते हुए [14]

इन सभी चरणों में उनके संरक्षण की ज़रूरतें बदलती रहेंगी, और प्रत्येक चरण में उनके जोखिमों का आकलन करते हुए राज्यों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि दी जा रही संरक्षण सेवाएं बदलती हुई आवाश्यकताओं के अनुरूप हैं|

2.1. प्रारम्भिक-सुरक्षा

अवैध कारोबार के शिकार माने गए किसी व्यक्ति की पीड़ित के रूप में पहचान के तुरंत बाद उसे किस प्रकार का संरक्षण दिया जाय, यह सेवा-प्रदायकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही संरक्षण योजना की और अधिक सफलता के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है | विशेष रूप से, इस चरण में किए गए सुरक्षा उपाय अवैध करोबार से पीड़ित व्यक्ति और सेवा-प्रदायकों के बीच परस्पर विश्वास और सहयोग का सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं | पीड़ितों को दिया जा रहा संरक्षण उनकी सुरक्षा एवं ज़रूरतों के हिसाब से पर्याप्त होना चाहिए और यह प्राधिकारियों को सहयोग देने या न देने की उनकी इच्छा पर आधारित नहीं होना चाहिए |

इस बिंदु पर, अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान और उनकी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करना और उनको चिंता-मुक्त करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए | इनमें शामिल हैं:

- पीड़ित व्यक्ति व उसके परिवार-जनों एवं इष्ट-मित्रों की निजता, सुरक्षितता और सुरक्षा
- बुनियादी ज़रूरतों, यथा खाना, कपड़ा और सुरक्षित आवास की सुलभता
- परिवार के साथ सम्प्रेषण एवं परिवार की तलाश, जहां अवैध कारोबार में उनके योगदान की कोई आशंका न रही हो, और जहां ऐसा सम्प्रेषण पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार के लिए सुरक्षित हो;
- तात्कालिक चिकित्सा
- कानूनी एवं आप्रवासन परामर्श

इसी बिंदु पर अवैध कारोबार के शिकार लोगों को आदर्श रूप से उनके अधिकारों, सहायता के आसार, स्वरुप और सहायता एवं संरक्षण कार्यक्रम में उनके योगदान एवं अनिवार्यताओं और जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी जाती है |,यह जानकारी तब दी जानी चाहिए जब अवैध कारोबार के शिकार लोग पूरे मनोयोग से उसे सुनने एवं समझने की स्थिति में हों । जिस स्थान पर उनकी पहचान हुई है वहाँ की भाषा की पर्याप्त जानकारी न होने के पर उन्हें अनुवादक एवं दुभाषिये की ज़रुरत पड़ सकती है | सुलभ सहायता की जानकारी पाकर पीड़ित व्यक्ति चिंता मुक्त होकर सहजता का अनुभव करने लगता है और वह अगले कदम एवं प्रक्रिया के बारे में कोई निर्णय ले सकता है| पीड़ितों की देख-भाल के ये प्रारम्भिक चरण उनसे स्थायी एवं दीर्घकालीन सहयोग-समर्थन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, साथ ही पीड़ितों को अपने संरक्षण का स्वरुप निर्धारित करने एवं आपराधिक न्याय प्रक्रिया में प्रतिभागिता से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं |

संकेत: पीड़ितों का सहयोग मिले -न मिले उनको संरक्षण दें

अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों के आव्रजन या अन्य स्तर तथा आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सहभागिता संबंधी उनकी इच्छा/अनिच्छा पर विचार किये बिना राज्य अवैध कारोबार के शिकार हुए सभी लोगों को संरक्षण देने की अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह करते रहें |

14.अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहले संपर्क स्थल पर पहचान तथा उनके साक्षात्कारों (आपराधिक न्याय प्रक्रिया से जुड़े साक्षात्कार सहित) से संबंधित अगली जानकारी के लिए अवैध कारोबार के पीड़ितों की पहचान की नीतिनिदेशिका, बाली प्रक्रिया 2015 देखें |

अवैध काररोबार के शिकार जिन लोगों को, बच्चे माना गया है उनकी उम्र के निर्धारण एवं कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति एवं उनकी समुचित अंतरिम देख-भाल हेतु सर्वोत्तम हित निर्धारित करने के लिए उनको तुरंत ही बाल संरक्षण प्राधिकारी के पास भेजा जाय, यदि बच्चा किसी के साथ हो तो यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि उसका अभिभावक अपने बच्चे के सवोत्तम हितो का प्रतिनिधित्व क्रर सकेगा| जैसे, अभिभावक अपने बच्चे के अवैध कारोबार या शोषण के लिए खुद ही तो ज़िम्मेदार नहीं है? [15] अभिभावक की जिम्मेदारियों में, बच्चे की समुचित देख-भाल, आवास, स्वास्थय की देखभाल, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक समर्थन, शिक्षा एवं भाषाकीय समर्थन सुनिश्चित करना शामिल है, साथ ही, बच्चे को उसके अधिकारों के बारे में सूचित करते रहना और बच्चे के सर्वोत्तम हित में उसके स्थायी संरक्षण समाधान की पहचान में उसे सहयोग देना भी शामिल है| [16]

> ⚠ ***सावधान:***
>
> *अवैध कारोबारी सहायता कार्यक्रम में घुसपैठ कर सकते हैं या पीड़ित का ठिकाना मालूम कर सकते हैं| सेवा प्रदायक इस जोखिम से सावधान रहें और किसी अनजान व अपरिचित व्यक्ति के सामने उसके बारे में कोई जानकारी*

अवैध कारोबार के आशंकित शिकार के साथ पहले संपर्क बिंदु पर तैनात अधिकारियों को, उन्हें तथा उनसे संपर्क में आनेवाले स्टाफ को भी समुचित संरक्षण देने के उपाय करने होंगे| जोखिम आकलन की प्रक्रिया के द्वारा इन जोखिमों से बचने के समुचित उपाय किये जा सकते हैं| सुरक्षा उपायों में, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से लेकर पुलिस कर्मियों के साथ सीधा संपर्क एवं सहयोग, तथा आश्रय स्थलों पर निजी सुरक्षा कंपनियों की तैनाती..तक सारे उपाय किये जा सकते हैं| जहां शिकार हुए लोगों को बिना छप्पर के आश्रय स्थलों पर रखा जाता है, वहां किये जानेवाले जोखिम आकलन में पीड़ितों, उनके परिवारों, इष्ट-मित्रों तथा सेवा–प्रदायकों की सुरक्षा चुनौतियों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसमें संपर्क साधनों की सुलभता और स्थानीय पुलिस की विश्वसनीयता एवं क्षमता भी शामिल है | अवैध कारोबार के पीड़ितों को सहायता देनेवाले सभी स्टाफ सदस्यों को किये गए सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जानी अत्यावश्यक है तथा पीड़ित लोगों एवं खुद स्टाफ को भी आशंकित खतरों से अवगत कराते रहना ज़रूरी है| [17] अवैध कारोबार के शिकार लोगों तथा उनकी परिस्थितियों की जानकारी 'जानना आवश्यक' आधार पर ली जानी चाहिए, अर्थात स्टाफ को उतनी ही जानकारी दी जाने चाहिए जो कि उनके संरक्षण कार्य-साधन के लिए अपेक्षित है|

अवैध कारोबार के शिकार लोगों को आश्रय स्थलों पर या उनकी ज़रूरतों के अनुसार समुचित स्थानों पर सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा उन्हें जाने-आने की आजादी होनी चाहिए | उन्हें ताला लगे हुए आवासों में नहीं रखा जाना चाहिए, भले ही वह आव्रजकों का अवरोधन केंद्र हो, जेल या अन्य कारागृह हो, जहां उन्हें जाने-आने की आज़ादी नहीं होती [18] शिकारग्रस्त लोगों को तात्कालिक इलाज करवाने की या स्वास्थय संबंधी देख-भाल की ज़रुरत हो सकती है, साथ ही कानूनी अथवा आव्रजन सहायता व समर्थन की ज़रुरत हो सकती है |

यह सुस्थापित हो चुका है कि इस प्रकार के अपराध में अन्तर्निहित सदमें की स्वाभाविकता के कारण अवैध कारोबार के शिकार लोगों को 'आत्म-चिंतन' अवधि प्रदान की जाय ताकि वे अपने अनुभव के सदमे से मुक्त हो सकें और यह निर्णय ले सकें कि अवैध कारोबारी के विरुद्ध जांह-पड़ताल या मुकदमेबाजी में उन्हें सहयोग

> **संकेत**: अवैध कारोबारियों के शिकार हुए लोगों को आत्म-चिंतन की अवधि दी जानी चाहिए
>
> अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को आत्म-चिंतन की अवधि दी जानी चाहिए ताकि वे अपने अनुभवों के सदमें से मुक्त हो सकें | आत्म-चिंतन अवधि, सहायक समर्थन तथा अंतर्राष्ट्रीय अवैध कारोबार से पीड़ितों को अस्थायी वीसा अवश्य दिया जाना चाहिए भले ही वे अवैध कारोबारियों के विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रक्रिया में प्रतिभागिता के इच्छुक हों या न हों|

15 बच्चों के सर्वोत्तम हित में क्या है-इस बारे में खद बच्चों से भी परामर्श लिया जाना चाहिए| बाल-अधिकार समझौते(CRC) के अनुच्छेद के निदेशानुसार बच्चों के विचारों को भी उनकी उम्र और परिपक्वता के अनुसार समुचित सम्मान किया जाना चाहिए| बच्चों से परामर्श लेने में CRC के अनुच्छेद 16 पर भी ध्यान देना चाहिए जिसमें बच्चो की निजता, परिवार,या पत्राचार में मनमाने तौर पर या अवैधानिक हस्तक्षेप से उन्हें संरक्षण प्राप्त है तथा अनुच्छेद

17 में राज्य की ओर से यह गारंटी दी गई है कि बच्चों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार रहेगा|

16 .अवैध कारोबार के बाल शिकारों से संबंधित UNISEF की तकनीकी टिप्पणी UNISEF 2006 pp 16-17 देखें |

17 अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को सीधे तौर पर सहायता से संबंधित IOM 2005 का अनुभाग 4.2.6 देखें|

18 मानवाधिकार एवं मानवों के अवैध कारोबार पर संस्तुत सिद्धांत एवं दिशा-निदेश (E2002/68/Add-1) संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के दिशानिदेश 6(1) को देखें|w

देना चाहिए या नहीं | राज्यों में उक्त आत्म-चिंतन की अवधि अलग-अलग तथा विचित्र रूप से 30 दिन से 90 दिन तक की होती है [19] अतिरिक्त चुनौतियां तब आती हैं जब पीड़ित लोग गैर-नागरिक होने के करण राज्य में अनियमित स्तर रखते हैं| संरक्षण योजना में किसी विदेशी नागरिक को अस्थायी वीसा दिया जा सकता है ताकि वह आत्म-चिंतन अवधि के दौरान देश में रह सके|

यदि शिकार हुए लोगों को पर्याप्त सहायता और पुनर्लाभ का समय तथा अपने भविष्य के बारे में खुद फैसला करने दिया जायगा तो अंतत: वे आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सहयोग देने के और अधिक इच्छुक एवं सक्षम होंगे |कई राज्य उन्हें अपने देश में ही रहने देने के लिए स्थाई वीसा जारी करते हैं, जैसे, जब एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा अवैध कारोबारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल में तथा / या उनके खिलाफ मुकदमेबाजी में सहयोग देने के कारण उसके अपने देश में उसे खतरा हो |

संकेत: सर्वोत्तम प्रथा के अनुरूप अवैध कारोबार के शिकार लोगों का संरक्षण करें

मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालय (ONCHR) के दिशानिदेश 6 मानवाधिकार एवं मानव के अवैध कारोबार पर संस्तुत सिद्धांत एवं दिशानिदेश यह परामर्श देते हैं कि राज्य तथा जहाँ सुसंगत हो , वहां अंतर-सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए :

- यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को किसी भी प्रकार से आव्रजन या अन्य कारागृह में नहीं रखा गया है |
- यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को किसी ऐसी सहायता व संरक्षण सेवा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है जो वे नहीं चाहते |
- पीड़ितों को यह सूचित किया जय कि उन्हें अपनी राष्ट्रीयता वाले देश के राजनायिकों एवं काउंसलरों से मिलने का हक़ है |

पीड़ितों की निजता, और उनकी पहचान को गोपनीय रखते हुए उनको अवैध कारोबारियों के खतरों, क्षतियों, व बदले की कार्रवाइयों से संरक्षण देना |

2.2. आपराधिक न्याय प्रक्रिया द्वारा संरक्षण

पीड़ितोंको आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सहभागिता के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें यह चुनाव करने को सक्षम बनाया जाना चाहिए कि वे प्रतिभागिता चाहते हैं या नहीं| जो लोग अवैध कारोबारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल और मुकदमेबाजी में योगदान करने के इच्छुक एवं सक्षम हों उनके लिए विनिर्दिष्ट संरक्षण लागू होगा|

मानव के अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अपराधों के लिए मुकदमेबाजी के दौरान पुष्टि करनेवाले साक्ष्य न होने कारण अक्सर साक्षी गवाही पर निर्भर करती है, अर्थात ,शिकार हुए लोगों की प्रतिभागिता के बिना उनकी सफलता संदिग्ध है| यदि कोई पीड़ित व्यक्ति विश्वसनीय साक्ष्य देने में असमर्थ है या साक्ष्य देना बिलकुल ही नहीं चाहता, तो मुक़दमे या उसके परिणाम पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है और राज्य द्वारा अपराधी को दोषी करार देने के आसार दांव पर लग सकते हैं |

जहां पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया [20] के द्वारा संतुष्ट होने नहीं दिया जाता, वहां उन्हें सभी प्रभावी उपाय सुलभ कराना राज्य के लिए संभव नहीं रह जाता | अत: आपराधिक न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में यह सुनिश्चित करना कि पीड़ितों को समुचित समर्थन एवं संरक्षण दिया जा रहा है, न केवल उनके संरक्षण प्राप्त करने के अधिकार की दृष्टि से आवश्यक है बल्कि कारोबारियों के विरुध मुकदमेबाजी में उनके सुरक्षित, प्रभावी एवं अमूल्य योगदान की दृष्टि से भी ज़रूरी है|

19. उदाहरण के लिए देखें, कैथी ज़िम्मेर्मन इत एल की पुस्तक 'स्टोलेन स्माइल्स'| 'महिलाओं के मनोकायिक स्वास्थय परिणाम तथा यूरोप में अवैध रूपसे लाई गयीं किशोरियां' लन्दन स्कूल ऑफ़ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, 2006 पेज 3

20. उपर्युक्त अनुभाग 1.1 पीड़ितों को संरक्षण देने में राज्य के उत्तरदायित्व और अनुभाग 2.1 ऐसा करने में उनके हित

संकेत: समूची आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दौरान जोखिम-आकलन करते रहें

अवैध कारोबार के शिकार लोगों की संरक्षण अपेक्षाओं में, मुकदमें के पहले, दौरान और बाद में अंतर आता रहेगा| अत: सर्वोत्तम प्रथा तो यह है कि प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के दौरान जोखिम-आकलन कर लिया जाय ताकि अवैध कारोबार के शिकार लोगों को दी जा रही संरक्षण सेवाएं उनकी बदलती हुई सुरक्षा ज़रूरतों के मुताबिक प्रभावी तरीके से अंगीकार की जा सकें|

मुकदमें पूर्व का संरक्षण

अपने लिए एक प्रभावी निवारण उपाय के तौर पर अवैध कारोबार से पीड़ित लोग आपराधिक न्याय प्रक्रिया में प्रतिभागिता के द्वारा अपने लिए न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं | अधिकाँश मामलों में वे शिकायतकर्ताओं एवं साक्षियों के रूप में शामिल होंगे, जिसका अर्थ यह है कि जांच-पड़ताल एवं कुछ मामलों में, न्यायलय की कार्यवाही में उनकी उपस्थिति अपेक्षित होगी |

मुकदमा शुरू होने से पहले जांच-पड़ताल एवं मामले को तैयार करते समय ही संरक्षण का एक मुख्य कारक उत्पन्न होता है, पीड़ित लोगों को यह सूचित किया जाते रहना चाहिए, कि क्या हो रहा है, प्रक्रिया में कितना लंबा समय लगेगा, उनके निजी सामान को क्यों साक्ष्य के तौर पर लिया जा रहा है और कब यह वापस किया जाएगा | मुकदमे के पूर्व चरण के दौरान, परामर्श-प्रक्रिया एवं अन्य भावनात्मक सहयोग के द्वारा शिकार हुए लोगों को मुकदमें के लिए तैयार किया जा सकता है, जिसमें साक्ष्य के तौर पर गवाही देना भी शामिल है | यह सहयोग मुक़दमे के समग्र चरण में जारी रहना चाहिए |

कुछ राज्यों में, संवेदनशील ‘शिकारग्रस्त साक्षियों को मुकदमें से पहले मदद करने की कानूनी अपेक्षा है | ऐसे मदद में मुकदमें के लिए शिकारग्रस्तों को तैयार करने के लिए किसी सुयोग्य व्यक्ति की सेवाएं लेना भी शामिल है, जैसे पीड़ित व्यक्ति को कोर्टरूम तक ले जाना, कोर्ट की प्रक्रिया समझाना और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को समझाना|

जहाँ उचित हो और प्रतिवादी के अधिकारों से सुसंगत हो, आरोपित अवैध कारोबारियों की मुक़दमे-पूर्व गिरफ्तारी से शिकारग्रस्त व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को बदले की कार्रवाई से संरक्षण देने में मदद मिल सकती है| ऐसी मुक़दमे-पूर्व गिरफ्तारी से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों में सुरक्षा की भावना बढ़ सकती है तथा अवैध कारोबारियों को साक्ष्यों के साथ हेरा-फेरी या पीड़ितों या अन्य साक्षियों को डराने-धमकाने से रोकते हुए निष्पक्ष मुकदमें की आसार बढ़ सकते हैं |[21]

संकेत: अवैध कारोबार के शिकार एवं साक्षियों को मुकदमा-पूर्व मदद करें

अवैध कारोबार के शिकार लोगों से संबंधित प्रोटोकॉल के संरक्षण उपबंध में पीड़ितों एवं साक्षियों को मुकदमा-पूर्व मदद करने के न्यूनतम मानकों की व्यवस्था है | राज्यों को ऐसी मदद करने की औपचारिक प्रक्रिया को अपनाना चाहिए| उक्त मदद में ऐसे सक्षम गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक सामाजिक संगठनों की सेवाएं लीं जानी चाहिय जो आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया को समझते हैं तथा जिन्होंने ततसंबंधित विशेष प्रशिक्षण लिया है |

प्रारम्भिक जांच-पड़ताल और मुकदमें के बीच की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को स्वदेश वापस भेजा जाय या नहीं, इसका निर्णय लेते समय पीड़ित लोगों के हितों को सर्वोपरि महत्व दिया जाय| ऐसे निर्णय मूल देश के संरक्षण तंत्र, जिस देश में मुकदमा होना है वहां पर पीड़ितों को वापस लाने-ले जाने हेतु संभार तंत्र की सुविधाएं या दूर से ही गवाही (इन्टरनेट या अन्य तकनीक जो कि साक्षी की निजता को सुरक्षित रखते हुए उपयोग में लाई जाय) देने की संभावना पर आधारित होने चाहिए | जहाँ ऐसी गवाही अव्यावहारिक या अनुचित हो, वहां साक्षियों के बयानों से काम चल सकता है| [22]

21. 'एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ट्रेनिंग मंनुअल फॉर क्राइम जस्टिस प्रेक्टीश्नर्स मोड्यूल 11 विक्टिम्स नीड्स इन क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीडिंगस इन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स केसेस UNODC/ UNGIFT,2009, P8

22 'एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ट्रेनिंग मंनुअल फॉर क्राइम जस्टिस प्रेक्टीश्नर्स मोड्यूल 11 विक्टिम्स नीड्स इन क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीडिंगस इन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स केसेस UNODC/ UNGIFT,2009, Pअप 7-8

मुक़दमे की प्रक्रिया के दौरान संरक्षण

अवैध कारोबार के अधिकाँश पीड़ितों के लिए कोर्ट के सामने हाज़िर होना कठिन काम है| मुकदमें की प्रक्रिया के गवाही जैसे उन पहलुओं को यथा संभव कम कर दिया जाना चाहिए जिनसे डर और चिंता बढ़ती हो |

अवैध कारोबार के पीड़ित लोगों को कोर्ट में साक्ष्य देने में मदद करने के लिए राज्यों ने संवेदनशील साक्ष्य उपाय एवं गावाही के सहायक उपाय किये हैं | ये उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किये गए हैं कि डराने-धमकाने, और अधिक सदमा, व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता और / या जनता के ओर से अनुचित जनाक्रोश के जोखिम को कम करते हुए पीड़ित लोग कोर्ट में यथासंभव सर्वश्रेष्ठ गवाही देने की स्थिति में आ सकें| हालांकि पारदर्शिता समुचित प्रक्रिया का बुनियादी तत्व है, फिर भी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो लोग प्रतिभागी हैं उनकी सुरक्षा और चिंता या लोक-लाज से संरक्षण के अधिकारों से इसे संतुलित किया जाना चाहिए | राज्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिकार हुए जो लोग आपराधिक न्याय प्रक्रिया के प्रतिभागी हैं उनको संरक्षण देने के हेतु किये गए उपाय समुचित, आवश्यक एवं आनुपातिक तथा प्रतिवादी के निष्पक्ष व सार्वजनिक सुनवाई के अधिकार पर असर नहीं डालते हैं|

संकेत: आपराधिक न्याय की समूची प्रक्रिया में शिकार व्यक्ति का समर्थन करें

राज्यों को चाहिए कि वे शिकार हुए व्यक्ति को सुलभ विकल्पों की व्यापक जानकारी उस भाषा में दें, जिसे वे अच्छी तरह से जानते हैं; जिसमें कोर्ट कार्यवाही के दौरान साक्षी के रूप में उनकी प्रतिभागिता भी शामिल है| राज्यों को उन्हें निष्पक्ष कानूनी परामर्श सुलभ कराने के सघन प्रयास करने चाहिए ताकि वे अपने कानूनी अधिकार और कर्तव्यों को समझ सकें |

अवैध कारोबार के शिकार हुए संवेदनशील व्यक्तियों एवं साक्षियों के संरक्षण हेतु मुक़दमे की प्रक्रिया के दौरान किये जानेवाले उपाय एवं गवाही में सहायक उपकरण :

- शिकार हुए लोगों को क्लोज सर्किट टीवी या वीडिओ लिंक के द्वारा गवाही की अनुमति देना |
- परदे लगाकर या बंद कोर्ट रूम के द्वारा शिकार हुए व्यक्तियों के प्रतिवादियों और आम जनता से संपर्क सीमित करना|
- पीड़ित व्यक्ति के गवाही देते समय सहायक व्यक्ति को साथ रखने की अनुमति |
- यह अनुमति देने के नियम बनाना कि मूल मुकदमे के दौरान हुई गवाही को अगली बार के मुकदमों में पुन: स्वीकार किया जाएगा ताकि पुन: सदमाँ पहुंचाने का जोखिम न रहे |
- शिकार हुए जो लोग विदेश में हों उन्हें यदि संबंधित न्याय क्षेत्र के कोर्ट में हाज़िर होने हेतु यात्रा करने से नुकसान पहुँचने, सदमें में आने या अनावश्यक कष्ट होने की आशंका हो तो विडिओ लिंक से गवाही की अनुमति दी जाय |
- शिकार हुए व्यक्ति का नाम या परिचयात्मक लक्षण के अनधिकृत प्रकाशन को अपराध घोषित करते हुए उसकी निजता का संरक्षण करना

संकेत: अवैध कारोबार के बाल-पीड़ितों एवं साक्षी व्यक्तियों हेतु संरक्षण उपाय करें

संवेदनशील व्यक्तियों के संरक्षण हेतु राज्य जब समुचित उपाय करेंगे और गवाही के सहायक उपकरण देने पर विचार करेंगे तब वे स्वत: बाल-पीड़ितों को सुलभ हो सकेंगे | अतिरिक्त संरक्षण देने पर भी विचार किया जा सकता है जैसे बाल-पीड़ितों तथा / या साक्षी को मुख्य गवाह बनाकर उनके साथ पुलिस के साक्षात्कार के विडियो रिकॉर्डिंग | फिर भी, खास तौर पर बाल-पीड़ित यदि अत्यधिक सदमें में हो तो उनके लिए प्रतिभागिता अपेक्षित नहीं होगी |

कुछ राज्य अभियोजन सेवाएँ अवैध कारोबार के शिकार लोगों के तनाव और सदमें को कम करने हेतु जानकारियाँ और कोर्ट कार्यवाहियों के दौरान उनके साथ रहकर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ही विशिष्ट गवाही सहायक या पीडित सहायक अधिकारी नियुक्त करतीं हैं| नागरिक समाज संगठन भी उनकी पूरक देखभाल में अमूल्य योगदान करते हुए मुकदमें की प्रक्रिया के दौरान पीड़ित लोगों को मदद कर सकते हैं |

जब कोर्ट कोई निर्णय ले चुका हो तथा अपराधियों को सजा सुनायी जानेवाली हो तब राज्य पीड़ितों को उनपर पड़े प्रभाव के बारे में कोर्ट के समक्ष स्वैच्छिक बयान देने की अनुमति देने पर विचार कर सकते हैं| ऐसे बयानों से शिकार हुए लोगों को सामान्य मन:स्थिति में लौट आने की प्रक्रिया में मदद मिलती है| इस दौरान वे न्यायाधीश को यह भी बता सकते हैं कि इस अपराध ने कैसे उनको शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय तथा/या सामाजिक रूप से पीड़ित किया है | पीड़ित प्रभाव बयान निम्नानुसार भी फायदेमंद है :

- आपराधिक न्याय प्रक्रिया में शिकारग्रस्त व्यक्ति की अन्य-मनस्कता संबंधी आम धारणा दूर होती है |
- दंड देने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होती है और अपराध के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है|
- अवैध कारोबारियों के समक्ष उनकी करतूतों के दुष्परिणाम बताने से उनके पुनर्वास को प्रोत्साहन मिलता है|

पीड़ित प्रभाव बयान का उपयोग का विचार करने वाले राज्य कुछ सावधानियों को सुनिश्चित करें कि शिकार हुए लोगों को अपने बयान में समुचित रूप से दिए गए दंड के बारे में अपनी कोई भी राय, भड़काऊ, धमकाने वाली, डराने वाली या परेशान करनेवाली सामग्री युक्त टिप्पणी देने की अनुमति नहीं दी गयी है | अवैध कारोबारियों को भी इस बयान में दिए गए तथ्यों को जांचने की अनुंमती होगी||

संकेत: यह सुनिश्चित करें कि सहायता एवं संरक्षण उपाय प्रतिभागिता का प्रलोभन नहीं है

सहायता एवं संरक्षण उपाय इस प्रकार से नहीं किये जाने चाहिए कि मुक़दमे के मामले की अनदेखी करते हुए यह एक प्रकार का प्रलोभन लगे | जैसे साक्षियों को सुलभ कराए गए आवास तथा वीसा को तर्कसंगत बनाये गए रिकॉर्ड में लिया जाना चाहिए तथा सहायता के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को पहचान कर तुरंत उसका निराकरण किया जाना चाहिए |

मुक़दमे के बाद का संरक्षण

किसी आपराधिक न्याय कार्यवाही के समाप्त होते ही संरक्षण उपाय बंद नहीं होने चाहिए, बल्कि ये पीड़ित विशेष की वास्तविक जरूरतों पर आधारित होने चाहिए | मुक़दमे के तुरंत बाद साक्षी सहायक अधिकारी या अन्य सक्षम प्राधिकारी पीड़ित व्यक्तियों को मुकदमें के परिणामों एवं उसके प्रभावों से अवगत कराएं जिसमें अवैध कारोबारी को दी गई सज़ा, उसकी अवधि, उसके रिहा होने की तारीख और उसके द्वारा अपील किये जाने की आशंका से संबंधित जानकारी भी शामिल होनी चाहिए | पीड़ित से विचार-विमर्श करने के बाद उसकी चिंताओं को ध्यान में रखकर संरक्षण योजना को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए |

मुकदमेबाजी के बाद अवैध कारोबार के शिकार लोगों, उनके परिवारों, एवं इष्ट-मित्रों को डराने-धमकाने की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है | अत: राज्यों को साक्षी को निरंतर संरक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा के उपायों पर विचार करना पड़ सकता है, जिसमें पीड़ित एवं उनके परिवारों को उनकी स्वदेश वापसी में खतरा होने की स्थिति में उनको न्यायक्षेत्र में ही स्थायी रूप से रहने की अनुमति देना शामिल है [23] बदले की कार्रवाई या अवैध कारोबार में फिर से फंसने के खतरे से आगे, मूल राज्यों में अपर्याप्त सहायता एवं समर्थन के जोखिमों का आकलन यह निर्णय करने की दृष्टि से बड़ा युक्तिसंगत लगता है कि शिकार हुए व्यक्ति को स्वदेश वापस भेज दिया जाय या अन्यत्र भेजा जाय अथवा मुक़दमे वाले देश में ही रहने की अनुमति दी जाय | [24]

23.स्थायी संरक्षण समाधान का निम्नलिखित अनुभाग 2.3.देखें

24.स्थायी संरक्षण समाधान का निम्नलिखित अनुभाग 2.3.देखें

2.3. संरक्षण का स्थायी समाधान

संरक्षण का स्थायी समाधान **पहले बिंदु पर संपर्क से ही शुरू हो जाता** है, जब अवैध कारोबार के पहचाने गए पीड़ित की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका आकलन करना होता है, जैसे अस्थायी आश्रय, चिकित्सा देखभाल, सुरक्षा एवं संरक्षण | ऐसे उपाय मूल देश में, बीच यात्रा के देश में अथवा गंतव्य देश में किए जा सकते हैं | जहाँ संरक्षण समाधान में पीड़ित व्यक्ति को अवैध कारोबारी के चंगुल से छुड़ाया जाता है और कोई भी तात्कालिक जोखिम को घटाया जाता है, वहां स्थायी संरक्षण समाधान व्यापक होते हैं, अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोगों के तात्कालिक जोखिमों के निराकरण से कहीं आगे उनको स्वायत्तता वापस दिलाने और समाज में पुनर्समावेश के लिए उन्हें सक्षम बनाते हैं |

स्थायी संरक्षण समाधान में वे सभी उपाय शामिल किये जा सकते हैं जो उन्हें दीर्घावधि अवसर दिलाना सुनिश्चित करते है ताकि वे उन स्थितियों से छुटकारा पा सकें, जिनके कारण वे अवैध कारोबार के शिकार बने| जैसे, शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति, संवेदनशीलता का निराकरण और पीड़ितों के सामाजिक व आर्थिक पुनर्समावेश में सहयोग |पहली बार हुए संपर्क के दौरान पहचाने गए समाधानों को स्थायी रूप से जारी रखना पड़ सकता है, जैसे निरंतर आवास, चिकित्सा, एवं मनोवैज्ञानिक देख-भाल, परामर्श, तथा शिकार हो चुके व्यक्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण की गारंटी |

किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता एवं संरक्षण कार्यक्रम का चरम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सहायता प्राप्त पीड़ित अपने अनुभवों के आधार पर सही रास्ते पर आ सकें, आत्म-निर्भर हो सकें और आर्थिक व सामाजिक जीवन में प्रतिभागी हो सकें | इन उद्देश्यों के पूरा न होने पर वे पुन: संवेदनशील होकर शिकार ग्रस्त हो सकते हैं|

स्थायी संरक्षण समाधान तब और अधिक पेंचीदा हो जाते हैं जब सीमा पार से व्यक्तियों का अवैध कारोबार होता है और पीड़ित लोगों को सहायता एवं संरक्षण देने हेतु दो या दो से अधिक देशों के प्राधिकारियों एवं सेवा-प्रदायकों के बीच परस्पर एवं आपसी समन्वय करना होता है| आत्म-चिंतन अवधि या मुक़दमे की कार्यवाही पूरी होने के बाद समावेश, स्वैच्छिक वापसी, अथवा पुनर्समवेश के विकल्पों की तलाश शरू कर देनी चाहिए | [25] जब तक पीड़ित व्यक्ति को संबंधित देश में ही बने रहने का आवासीय या अन्य वीसा नहीं दिया जाता, वे अपने मूल देश में वापस जा सकते हैं, जहाँ पीड़ितों को अपने मूल देश, खुद के ही घर में या अन्यत्र, वापस भेज दिया जाता है, तो राज्य के प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि वहां आगमन के बाद उन्हें बदले की कार्रवाई या अवैध कारोबार में फिर से धंकेलने से बचाया जाता है तथा पुनर्समावेश प्रक्रिया के दौरान संरक्षण दिया गया है|

मूल देश में कोई भी वापसी यथासंभव स्वैच्छिक और वापस जानेवाले व्यक्तियों के अधिकार, सुरक्षा, और सम्मान के साथ होनी चाहिए तथा इसमें पर्याप्त संरक्षण, सहायता और पुनर्समावेश एवं अवैध कारोबार में पुन: फंसाने को रोकने के लिए अपेक्षित सहयोग शामिल होना चाहिए| [26] जहाँ पीड़ित व्यक्ति की पसंदगी तीसरे देश की हो, वहां संबंधित राज्य उसे सुरक्षित स्थान पर फिर से बसाने व समावेश में उसकी मदद करे | [27] जहां सुरक्षा का खतरा लगातार बना रहे,मानवीयता के आधार पर या अन्य जोखिमों के कारण उसकी वापसी संभव न हो तो गंतव्य देश में ही उसके स्थायी या अस्थायी निवास की अनुमति देने पर विचार किया जाना चाहिए [28]

स्थायी संरक्षण समाधन में विभिन्न सेवा-प्रदायकों, व पण-धारकों सहयोग अपेक्षित है| यह सुनिश्चित करने के लिए 'रेफरल' एवं प्रतिसूचना अत्यावश्यक है कि समुचित सेवाएं यथासमय एवं समन्वित तौर- तरीकों से गंतव्य देशों के भीतर तथा पारस्परिक रूप से दी जा रहीं हैं| इस कार्य में खुद पीड़ित व्यक्तियों का सहयोग एवं योगदान भी आवश्यक है | इन संरक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन में पीड़ित लोगों को न केवल अपने योगदान व जिम्मेदारियों को, बल्कि किसी भी दीर्घावधि योजना की सफलता को सुनिश्चित करने हेतु किस प्रकार का सहयोग और समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है इसके निर्धारण में अपने योगदान को भी समझना होगा| खास तौर पर बच्चों के मामलों में, जिनके हित संरक्षण योजनाओं में सर्वोपरि होने चाहिए, संरक्षण दृष्टिकोण को विकसित करते समय व्यक्तिगत ज़रूरतों एवं आकांक्षाओं पर समुचित ध्यान देना भी आवश्यक है| अंतत:, अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोगों

25. मानवाधिकार एवं मानवों के अवैध कारोबार से संबंधित संस्तुत सिद्धांत व दिशानिदेश E/2002/68/Add.1) संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त दिशानिदेश 5(8)

26. मानवाधिकार एवं मानवों के अवैध कारोबार से संबंधित संस्तुत सिद्धांत व दिशानिदेश E/2002/68/Add.1) संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त दिशानिदेश 6(8) , साथ ही सुरक्षित वापसी से संबंधित 'व्यक्तियों के अवैध कारोबार' संबंधी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 8(3)-(4), अनुच्छेद 9 (1)(बी) को देखें|

27. मानवाधिकार एवं मानवों के अवैध कारोबार से संबंधित संस्तुत सिद्धांत व दिशानिदेश E/2002/68/Add.1) संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त दिशानिदेश 6(8) , साथ ही सुरक्षित वापसी से संबंधित 'व्यक्तियों के अवैध कारोबार' संबंधी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 8(3)-(4), अनुच्छेद 9 (1)(बी) को देखें|

28. मानवाधिकार एवं मानवों के अवैध कारोबार से संबंधित संस्तुत सिद्धांत व दिशानिदेश OHCHR, 2010, pp.180-182 देखें|

की बदलती हुई ज़रूरतों के अनुसार सहायता एवं संरक्षण योजनाओं का आवधिक तौर पर निर्धारण या मूल्यांकन होते रहना चाहिए|

तालिका 1 स्थाई संरक्षण समाधान के मुख्य कारक

बुनियादी ज़रूरतें	• स्थायी सुरक्षित आवास, विशेष रूप से जब पुनर्समावेश स्तुत्य नहीं हो • सुरक्षा और संरक्षण के उपाय
चिकित्सकीय एवं मनो सामाजिक देखभाल	• मनोवैज्ञानिक परामर्श • पारिवारिक दौरों सहित सामाजिक परामर्श • चिकित्सा एवं दांतों की देखरेख • पारिवारिक व सामुदायिक पुनर्समावेश हेतु हस्तक्षेप
आर्थिक पुनर्समावेश	• शिक्षा, खास तौर पर बच्चों की • सामाजिक समावेश के सन्दर्भ में भाषा-प्रशिक्षण • श्रमिक बाज़ार एवं औद्योगिक मांग पर आधारित व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम • काम दिलाने में सहायता • आजीविका अनुदान एवं परामर्श • आर्थिक अनुदान एवं कार्यशील पूंजी
कानूनी समर्थन व सहायता	• कानूनी परामर्श • क़ानून प्रवर्तन तथा/या मुकदमा चलानेवाले प्राधिकारियों के समक्ष आपराधिक शिकायतें दर्ज करवाना और अन्य कानूनी उपाय • क्षतिपूर्ति की वसूली में सहायता • अस्थायी तौर पर रुकने की अथवा यथासंभव स्थायी निवास की अनुमति हेतु आवेदन करने में सहायता • अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को इसी कारण से किये गए अपराधों से बरी करने के लिए अभ्यावेदन करना [29]

क्षतिपूर्ति

स्थायी संरक्षण समाधान को सहज बनाने का एक तरीका अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोगों को लगी चोट, क्षति या हानि की क्षतिपूर्ति, वित्तीय सहायता या पुनर्वापसी दिलाना है|इससे उनको सामान्य स्थिति में वापसी में मदद मिलेगी और अवैध कारोबार में उनके पुन: प्रवेश को रोका जा सकेगा| क्षतिपूर्ति में बकाया मजदूरी, कानूनी खर्च,चिकित्सा खर्च,खोये हुए अवसर, दुःख-दर्द,व भुगतनी के लिए मुआवजा, कुछ भी हो सकता है | (30)

29.गैर अपराधीकरण के बार में अधिक जानकारी के लिए अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोगों के अपराधीकरण पर 'बाली प्रक्रिया 2014 का पेज 7 देखें|

30.अपराधों तथा सत्ता के दुरूपयोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र A/RES/40/34, 29 नवम्बर,1985 का अनुच्छेद 12 व 13 देखें

अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोगों के लिए क्षतिपूर्ति योजनाओं के संसाधन अवैध कारोबारियों की परिसंपत्तियों से अथवा न्यायिक प्रक्रिया अथवा प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से प्रबंधित, राज्य की निधि से पोषित योजनाओं से जुटाए जा सकते हैं | कई कार्य क्षेत्रों में नुकसान की भरपाई से संबंधित दीवानी दावे आपराधिक कार्रवाई दर्ज करने से जुड़े होते हैं और न्याय-निर्णयों में मौद्रिक फैसले भी शामिल किये जाते हैं या पीड़ितों को हर्जाने का भुगतान दंड का एक भाग होता है| इसके अलावा अन्यों ने भी,आपराधिक न्यायिक कार्रवाई से सर्वथा अलग, दीवानी कार्रवाई के द्वारा हर्जाने की वसूली की अनुमति दी है | बकाया मजदूरी एवं, खास तौर पर शोषण के लिए अवैध कारोबार के मामलों के अन्य संविदागत अनुलाभों के लिए श्रमिक न्यायालय के माध्यम से दावे दायर किया जाना क्षतिपूर्ति की एक अन्य संभावना हो सकती है|

पीड़ितों को अवैध कारोबार से संबंधित सदमें से उबारने के बाद आर्थिक मदद देने के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कुछ देशों ने, राज्यों के संसाधनों से एक निधि स्थापित की है | अवैध कारोबार से पीड़ित लोगों के लिए न्यास-निधियाँ भी सृजित की गयी हैं जिनका वित्तीयन मौद्रिक जुर्माने एवं आपराधिक दोषी करार दिए जाने के परिणामस्वरूप लगाए गए दंड से किया जाता है| अन्यों ने, अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोगों को भी मौजूदा आम सहायता निधियों से लाभान्वित होने की अनुमति दी है जो कि गंभीर अपराधों और हिंसा से पीड़ितों को सुलभ है|

निजी क्षेत्र के उन कार्यकरों की भी अपने कर्मचारियों को शोषण से बचाने और पीड़ितों को मुआवजा देने की अहम् भूमिका है, जिनके उद्योग एवं आपूर्ति-श्रृंखला पर अवैध कारोबार का असर पड़ सकता है| इसने राष्ट्रीय संस्थानों, चरितार्थ न्यासों, व्यावसायिक समुदाय एवं व्यक्तियों से प्राप्त अंशदान से राज-कोष में अभिवृद्धि के आसार भी बढ़ा दिए हैं|

जहां अधिकाँश कार्यक्षेत्र अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोगों को दीवानी न्यायालयों समाज कल्याण या श्रम शासन प्रणाली) के माध्यम से क्षतिपूर्ति की मांग जारी रखने की अनुमति देते हैं, वहां, अनियमित आव्रजकों को अपने स्तर या दस्तावेजीकरण के अभाव में ऐसे मुआवजों को पाने में रुकावटें आ सकती हैं| तदनुसार, राज्यों को चाहिए कि वे अनियमित स्थितियों से रूबरू होने वाले लोगों सहित सभी पीड़ितों के लिए, उनको हुए नुकसान की भरपाई के लिए दीवानी न्यायालय में जाने का मार्ग प्रशस्त करें |

निम्नलिखित डायग्राम पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के संभावित स्रोतों को दर्शाता है|

डायग्राम1. पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के संभावित स्रोत

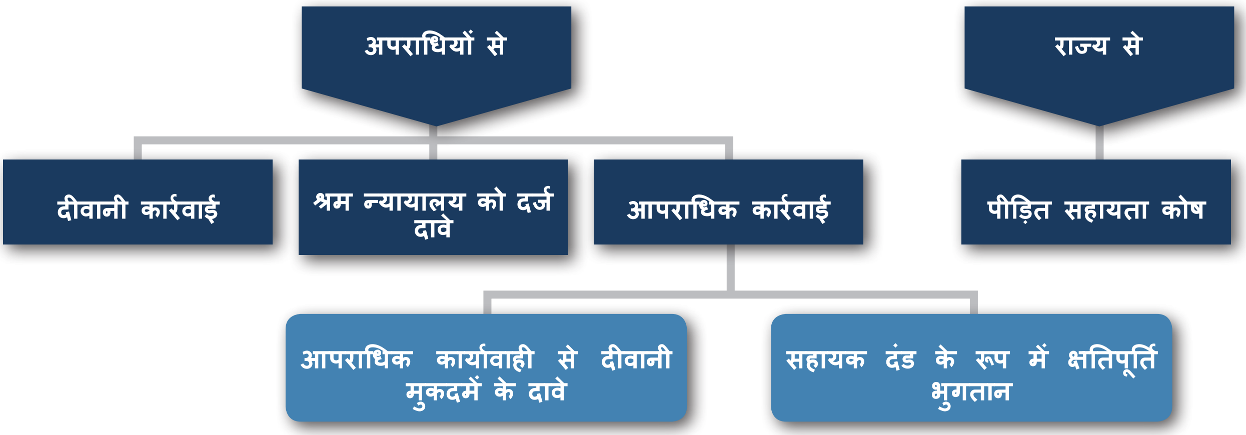

संकेत: स्थायी संरक्षण समाधान के एक भाग के तौर पर प्रभावी क्षतिपूर्ति दें

राज्यों को अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोगों को आपराधिक प्रक्रिया से बाहर के स्रोतों से भी क्षतिपूर्ति के संसाधन उपलब्ध कराने के बारे में विचार करना चाहिए | अवैध कारोबार से पीड़ित गैर-नागरिकों को भी क्षतिपूर्ति दिया जाना सुनिश्चित करने पर विचार होना चाहिये|

अनुभाग 3:

समन्वय एवं बहु पण-धारक दृष्टिकोण

3.1. पण धारकों का संरक्षण

समन्वय व्यापक संरक्षण का मुख्य कारक है| अवैध कारोबार से पीड़ितों की पेंचीदा व्यक्तिगत संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी उपाय विविध प्रकार के निष्णातो एवं मध्यस्थों का समावेश होगा| अवैध कारोबार से पीड़ित लोगों को संरक्षण देने की प्रारम्भिक ज़िम्मेदारी हालांकि राज्य की है, फिर भी, इस काम में समर्थन देकर अन्य कार्यक्रर भी महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं |[31] नागरिक समाज के कार्यकर अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोग एवं प्राधिकारियों के बीच परस्पर विश्वास कायम करने में अहम योगदान कर सकते हैं और उन्हें पीड़ितों को प्रभावी संरक्षण सेवा प्रदान करने देने में अच्छी महारत हासिल है |

व्याक्तियों के अवैध कारोबार का प्रोटोकॉल, सहायता एवं संरक्षण उपायों में बहु पण धारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता को स्वीकार करता है और राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे 'गैर-सरकारी संगठनों, अन्य सुसंगत संगठनों एवं नागरिक समाज के अन्य तत्वों के सहयोग से' [32] अवैध कारोबार के शिकार हो चुके लोगों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पुनर्लाभ हेतु उपायों के क्रियान्वयन पर विचार करे | राज्य के कई सरकारी व गैर सरकारी पण-धारकों को पीड़ितों के संरक्षण के काम में लगाया जा सकता है जिनमें पुलिस, आव्रजन एवं समाज सेवा प्राधिकारी तथा श्रम एवं उद्योग से संबंधित कार्यकर, आतंरिक एवं विदेशी मामलों के मंत्री, तथा अपराधों से पीड़ित लोग, आव्रजक, महिलाएँ तथा/या बच्चे, साथ ही कानूनी सहायता देने का कौशल रखने वाले गैर सरकारी संगठन शामिल हैं| [33]

सीधे तौर पर सहायता एवं संरक्षण देनेवाले पणधारक

पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए राज्य के कार्यकर ज़िम्मेदार हैं और वे समाज सेवा कार्यक्रमों, बाल-देखभाल सेवाओं, आपराधिक प्रक्रिया निधि, पीड़ितों का कोष, हिंसा से पीड़ित महिलाओं का कोष तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से सीधे तौर पर वित्तीय सहायता दे सकते हैं| राज्यों के निम्नलिखित कार्यकरों का विशेष महत्व है:

- पीड़ितों की शारीरिक सुरक्षा के लिए पुलिस एवं आपराधिक न्याय प्राधिकारियों का महत्व है,
- अवैध कारोबार से पीड़ित व्यक्तियों को राज्य में स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर बसाने के लिए आव्रजन एवं कौंसुलर प्राधिकारियों का योगदान होता है
- राज्य की स्वास्थय सेवा एजेंसियाँ परामर्श, सूचना चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक सहायता दे सकतीं है|
- राज्य की समाज सेवा एजेंसियां भी व्यावसायिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण दिलवाने तथा रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों में आनेवाली रुकावटों को दूर कर सकती है |[34]

31.व्यक्तियों के अवैध कारोबार संबंधी प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 6(3) देखें

32. .व्यक्तियों के अवैध कारोबार संबंधी प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 6(3) देखें

33. अधिक जानकारी के लिए अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की पहचान से संबंधित नीति-निदेशिका, बाली प्रक्रिया 2015 का अनुभाग 3.1 देखें

34. व्यक्तियों के कारोबार प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 34 देखें

हालांकि पीड़ितों के संरक्षण के लिए राज्यों के कार्यकर ज़िम्मेदार हैं, फिर भी कई देशों में, नागरिक समाज संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अन्य गैर सरकारी सेवा-प्रदायक जैसे गैर-सरकारी कार्यकर अक्सर वित्तीय एवं अन्य दबावों में संरक्षण कार्य करते हैं |

- गैर सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन पीड़ितों को सूचना एवं विशिष्ट राजकीय सेवायें प्रदान करते हुए राज्य कार्यक्ररों को मदद कर सकते हैं|
- वे आवास, खाद्यान्न, स्वास्थय (यौन-स्वास्थय सहित) एवं चिकित्सा देखभाल एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी एवं आव्रजन संबंधी सलाह के रूप में वस्तुपरक सहयोग भी दे सकते हैं| उनकी संरक्षण जिम्मेदारियों के अनुरूप राज्य को चाहिए कि वह पीड़ितों को संरक्षण देने हेतु नागरिक समाज कार्यकारों को पर्याप्त समर्थन एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करे| [35]
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यथा संयुक्त राष्ट्र (यू एन) एजेंसीज़ तथा आव्रजन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय एवं वस्तुपरक सहयोग दे सकते हैं| [36]

वापसी एवं पुनर्समावेश पण धारक

जो पण धारक पीड़ितों को उनके मूल वतन में वापस भेजने तथा उनके समावेश में लगे हैं उनमे आव्रजन एवं विदेशी मामलों के प्राधिकारी पुलिस, कौंसुलर मामले, समाज सेवा विभाग तथा मूल देश एवं गंतव्य देश के अन्य अधिकारी शामिल हैं | पीड़ितों को वापस भेजनेवाले और उन्हें स्वीकार करने वाले, दोनों ही देशों के इन कार्यकरों को पीड़ितों की वापसी [37] के लिए दस्तावेज जारी करना पड़ सकता है|उक्त दोनों ही देशों में सरकारी आश्रय अथवा अस्थायी आवास देनेवालों को समूची प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहना होगा| दोनों ही देशों के राजकीय कार्यकरों को उक्त वापस भेजे जा रहे लोगों के सामाजिक सामावेश हेतु पहले से ही योजना बनाकर क्रियान्वित करनी होगी | उदाहरणार्थ, समाज में वापस सम्मिलित होनेवाले, अवैध कारोबार के पीड़ितों को आजीविका के स्थायी अवसर देने हेतु श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्रालयों को महत्वपूर्ण योगदान करना होगा |

पीड़ितों की वापसी एवं उनके पुनर्समावेश में लगे गैर सरकारी संगठनों में पीड़ितों, आव्रजकों, महिलाओं एवं बच्चों के सहायक समूह भी शामिल हो सकते हैं| आइ ओ एम् और यू एन एजेंसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वापसी प्रक्रिया में सहयोग एवं अनुश्रवण करने तथा स्थायी संरक्षण एवं सामाजिक समावेश योजनाओं को विकसित करने में राज्यों के बीच परस्पर सहयोग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं,[38] ऐसे गैर सरकारी और अंतर-सरकारी कार्यकर, पीड़ितों की वापसी और उन्हें स्वीकार करनेवाले देशो के बीच समन्वय स्थापित करते हुए उनके प्रस्थान पूर्व और आगमन के बाद की सहायता देने में सक्रियता दिखा सकते हैं |

35.अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को सीधे तौर पर सहायता पहुंचाने से संबंधित IOM हैंडबुक 2007 का अध्याय 4 देखें और राष्ट्रीय रेफेरल मेकेनिजम के अनुसार अवैध कारोबार के पीड़ितों के अधिकारों को संरक्षण देने संबंधी प्रयासों में जुड़ने का हैंडबुक,OSCE2004 पेज 73-76 देखें

36. अपने 'ग्लोबल असिस्टेंस फण्ड (GAF) तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अन्य सहयोग तंत्र के द्ववारा IOM प्रति वर्ष लगभग 6000 से 7000 'अवैध कारोबार से पीड़ितों' को सीधे तौर पर सहायता देता है |

37. पीड़ितों की अदला-बदाली की कागजात जारी करनेवाले दूतावास और कांसुलेटों को इन दस्तावेजों में उन्हें 'अवैध कारोबार के पीड़ित लोगों' के रूप में परिचित नहीं करना चाहिए तथा उन्हें वापस भेजनेवाले देशों को चाहिए कि वे पीड़ितों के देश को उनकी व्यक्तिगत जानकारी तब तक सुपुर्द न करें, जब तक कि संबंधित व्यक्ति की सुस्पष्ट अनुमति न हो|

38. अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को सीधे तौर पर सहायता पहुंचाने से संबंधित IOM हैंडबुक 2007 का अध्याय 3 देखें और राष्ट्रीय रेफेरल मेकेनिजम के अनुसार अवैध कारोबार के पीड़ितों के अधिकारों को संरक्षण देने संबंधी प्रयासों में जुड़ने के हैंडबुक,OSCE2004 पेज 80-83 देखें|

3.2. राजनीतिक स्तर पर समन्वय

संरक्षण के बहु पण धारकों के बीच प्राभावी समन्वय की ठोस पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए राजनीतिक स्तर पर समन्वय की भी आवश्यकता है | अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, एवं राष्ट्रीय स्तरों पर कई राजनीतिक संकल्प लिए गए हैं तथा उनके क्रियान्वयन में समन्वय हेतु करार किये गए हैं|

संकेत: अवैध कारोबार के पीड़ितों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय समन्वय तंत्र को औपचारिक स्वरुप दें

राष्ट्रीय समन्वय तंत्र तब अधिक प्रभावी होंगे जब उनको औपचारिक स्वरुप दिया जाएगा, जैसे समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर करना, जो प्रत्येक पण धारक के विनिर्दिष्ट योगदान और कर्तव्यों का निर्धारण करें |

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों ने व्यक्तियों के अवैध कारोबार से संबंधित प्रोटोकॉल का एक पक्ष बन कर सुदृढ़ समन्वय दायित्वों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है| इसके आगे, मज़बूत क्षेत्रीय प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गयी है, जैसे दक्षिण-पूर्वी एशिया के (ASEAN) देशों ने व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के अवैध कारोबार के विरुद्ध एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं| उक्त घोषणापत्र ऐसे कारोबार को रोकने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देता है जिसमें अवैध कारोबार से पीड़ितों के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा के लिए कार्रवाई करना भी शामिल है | [39]

अवैध कारोबार के विरुद्ध समन्वित मेंकोंग मंत्री-स्तरीय पहल (COMMIT) की स्थापना 2004 में एक MOU पर हस्ताक्षर करके हुई थी, जिनमें ग्रेटर मेकोंग उप-क्षेत्र की हस्ताक्षरकर्ता सरकारों ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वे अवैध कारोबार के विरुद्ध अपने प्रयासों को समन्वित एवं मज़बूत करेंगे, जिसमें पीड़ितों का संरक्षण, पुनर्लाभ एवं पुनर्समावेश भी शामिल है| [40] COMMIT प्रक्रिया के तहत हस्ताक्षरकर्ता सरकारें स्वयं को प्रतिबद्ध करती हैं कि वे मानव के अवैध कारोबार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार परस्पर सहयोग करेंगी| संबंधित मंत्रालयों के सरकारी अधिकारियों (पुलिस, न्याय, समाज सेवा एवं महिलाओं के मामले) द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य बल अपने देश में अवैध कारोबार विरोधी नीतियों एवं कार्यक्रमों पर निर्णय लेते हैं, जिनका उल्ल्लेख वार्षिक COMMIT कार्य योजना और उसके परिणामस्वरूप तैयार की गयी कार्रवाई -योजना में में होता है, जो राष्ट्रीय, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्तर पर सरकारी विभाग एवं गैर-सरकारी पण धारकों की साझेदारी में क्रियान्वित होता है जिनमें यू एन एजेंसी, IOM, नागरिक समाज के कार्यकर एवं अन्य पण धारक भी शामिल हैं [41]

राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक समन्वय के कई प्रकार से होता है, जिनमें संरक्षण कार्यों में समन्वय हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यकरों में समझौते शामिल हैं| विभिन्न राज्यों के दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकते हैं किन्तु आम तौर पर वे एक राष्ट्रीय समन्वयक रखते हैं जो एक उच्च स्तरीय अधिकारी या एजेंसी होती है और एक समिति या गोलमेज ग्रुप होता है जिसमें सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा नागरिक समिति के ग्रुप होते हैं जो साथ मिलकर राष्ट्रीय नीति विकसित करते हैं और प्रक्रिया संबंधी संस्तुतियां देते हैं|

39 : see http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-Particularly-women-and-children-3 देखें

40. कम्बोडिया चीन, लाओ PDR, म्यांमार, थाईलैंड, और वियतनाम

41 See http://www.no-trafficking.org/commit.html देखें

42 दक्षिण एशियाइ क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) का वैश्यावृत्ति हेतु महिलाओं और बच्चों के अवैध कारोबार की रोकथाम एवं दमन हेतु समझौता 2002 के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं - बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका 19

3.3. परिचालानात्मक स्तर पर समन्वय

जब कई पण धारक यह सुनिश्चित करने में लगे होते हैं कि अवैध कारोबार-पीड़ितों को संरक्षण मिलता रहे, तब समुचित सहायता देने वाली विभिन्न सेवाओं के बीच परस्पर पूरक समन्वय तंत्र का होना भी महत्वपूर्ण है | परिचालानात्मक स्तर पर प्रभावी समन्वय स्थापित करने एवं अवैध कारोबार-पीड़ितों को समुचित संरक्षण सेवाओं तक पहुँचाने के लिए राज्यों ने पीड़ित-संरक्षण के विशिष्ट चरणों हेतु विभिन्न तंत्र अपनाए हैं | [43] सर्वप्रथम,तत्संबंधित पणधारकों, उनके योगदान एवं उनके द्वारा दी जा रहीं संरक्षण सेवाओं का आकलन करना होगा|

राज्य और गैर सरकारी कार्यकारों के बीच समन्वय का वर्णन ऐसे किया गया है-'एक सहकारी ढाँचा जिसके माध्यम से राज्य के कार्यकर अवैध कारोबार के पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किसी नागरिक समाज के साथ अपनी कार्यनीतिगत साझेदारी में अपने प्रयासों का समन्वय करते हुए दायित्वों का निर्वाह करते हैं| [44] 'हालांकि राजनीतिक स्तर की प्रतिबद्धता सुदृढ़ संरक्षण का ढांचा देती है, किन्तु इन प्रतिबद्धताओं को परिचालानात्मक स्वरुप देने का एक आम साधन, सरकारी एवं गैर सरकारी पण धारकों के बीच समन्वय को औपचारिक स्वरूप देना है ताकि अवैध कारोबार से पीड़ित लोगों को सहायता एवं संरक्षण सेवाएं प्राप्त हो सकें | इस तरीके से समुचित सेवा-प्रदायकों को एक साथ लाकर संरक्षण से संबंधित क़ानून, नीतियों और प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है | समन्वय तंत्र बहु पण धारक संरक्षण की सार्वोत्तम प्रथाओं के विनिमय की भी अनुमति देता है| किसी एक कार्यक्षेत्र की कार्यकर को अन्य कार्यक्षेत्र के कार्यकरों के साथ अवैध कारोबार विरोधी क्रियाकलापों में प्रभावी तरीके से शामिल करके संरक्षण में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बल मिलता है | आदर्श रूप से, ऐसे उपकरणों का उपयोग केवल जांच-पड़ताल एवं मुकदमेबाजी के लिए ही नहीं, बल्कि प्राथमिक तौर पर अवैध कारोबार के पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए होता है| [45]

> **संकेत**:समन्वय तंत्र को पारिचालित करें
>
> अंतर एजेंसी सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए परिचालानात्मक स्तर पर समन्वय, मानव के अवैध कारोबार की रोकथाम एवं दमन संबंधी किसी भी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय कार्य नीति के पूर्वापेक्षा है | अच्छी प्रथा के उदाहरणों में शामिल हैं - मानक परिचालन प्रक्रिया (SOPs) नियमित बैठकें तथा विभिन्न पण धारकों द्वारा नियत एवं प्रयुक्त तंत्र का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण|

प्रभावी समन्वय तंत्र का दायरा काफी व्यापक है जिसमें (यौन एवं श्रम शोषण तथा शरीर के अंग निकल लेने जैसे अन्य प्रकार के शोषण सहित) सभी प्रकार के शोषण, सभी श्रेणियों के पीड़ित, (स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ) सभी प्रकार के अवैध कारोबार,(आतंरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय) शामिल हैं| प्रभावी एवं कुशल समन्वय तंत्र नेतृत्व एवं उत्तरदार्यित्व सहित सभी एजेंसीयों के योगदान की सुस्पष्ट व्याख्या पर आधारित है |

व्यक्तियों के अवैध कारोबार पर अंतर विभागीय समितियां एक उपयोगी समन्वय तंत्र हो सकती हैं, जिनमें आपराधिक न्याय, बेरोजगारी, आव्रजन, श्रम एवं उद्योग, समाज सेवा तथा अन्य संबंधित सरकारी क्षेत्रों को मिलाकर राष्ट्रीय कार्यनीति के क्रियान्वयन का अनुश्रवण और सभी सरकारी विभागों में पैदा होने वाले मुद्दों का निराकरण किया जा सकता है| राष्ट्रीय गोलमेज सम्मलेन का आयोजन सरकार और नागरिक समाज, यूनियन और औद्योगिक पण धारकों के बीच औपचारिक परामर्श तंत्र का काम कर सकती है | अवैध कारोबार के विनिर्दिष्ट मामलों को निपटाने के लिए तथा व्यक्तिगत मामलों में परिचालानात्मक मुद्दों को सुलझाने के लिए कार्यकारी दल भी बनाये जा सकते हैं |

43 व्यक्तियों के कारोबार में राज्यों के बीच परस्पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को परिचालित करने के सन्दर्भ में ASEAN की हैंडबुक 'व्यक्तियों के अवैध कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय मामले में कानूनी सहयोग'ASEAN सचिवालय, अगस्त 2010देखें|

44. राष्ट्रीय रेफरल तंत्र, अवैध कारोबार से पीड़ितों के अधिकारों के संरक्षण प्रयासों में जुड़ना: व्यावहारिक हैंडबुक, OSCE/ODIHR, 2004, p.15.

45 मानव का अवैध कारोबार पर EUनिदेशों में जॉइंट UN कमेंट्री मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण, OHCHR/UNHCR/UNICEF UNODC/UN महिलाएं तथा ILO, 2011, p.50 और OSCE क्षेत्र में चालू NRM विकास ODIHR, 2008 देखें

अवैध कारोबार के पीड़ितों के संरक्षण में समन्वय सुदृढ़ करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का क्रियान्वयन

प्रभावी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं (MOU सहित) प्रमुख तत्वों का उल्लेख करतीं हैं, जिनमें शामिल हैं:

- प्रतिबद्धता के **साझेदार**, उनके **आदेश** तथा उनके परिचालन क्षेत्र
- सहयोग के **बुनियादी सिद्धांत एवं उद्देश्य**
- प्रतिबद्धता से लाभान्वित होनेवाला **लक्ष्य समूह**
- सुरक्षित एवं गोपनीय **सम्प्रेषण एवं सूचना का आदान-प्रदान**
- सहयोग की **प्रक्रिया**
- **अवयस्कों के लिए समुचित व्यवस्था**

व्यवहार में, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं तब क्रियान्वित होतीं हैं जब उनके साझेदार अवैध कारोबार के पीड़ितों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित कार्रवाई करते हैं:

- राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि में पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धताएं हैं
- जिन व्यक्तियों के अवैध कारोबार से पीड़ित होने की आशंका है उन्हें प्रारम्भिक सहायता एवं संरक्षण देने की दृष्टि से उक्त अपराध से पीड़ित मान लिया गया है, भले ही उनका आव्रजन स्तर या उनके अवैध कारोबार पीड़ित होने के करण आपराधिक कार्यों में उनका लगाव कुछ भी क्यों न रहा हो
- अवैध कारोबार के माने गए पीड़ितों को उनकी अपनी भाषा में मौखिक तथा लिखित रूप से सूचित किया जाता है कि उनके संरक्षण एवं सहायता के क्या अवसर हैं
- अवैध कारोबार के माने गए पीड़ितों को 'आत्म-चिंतन' की अवधि दी जाती है
- अवैध कारोबार के माने गए पीड़ितों को सुरक्षित आवास तथा आवश्यक सहायक सेवाएं सुलभ करायी जाती हैं, भले ही उनका आव्रजन स्तर कैसा भी हो या आपराधिक न्यायिक जांच में वे सहभागिता चाहते हों या न हों|
- संबंधित राज्य एवं NGO संरक्षण साझेदार उन लोगों के संरक्षण पर आपसी विचार-विमर्श करते हैं, जो आपराधिक न्याय प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं या अपने मूल वतन में वापस जाना चाहते हैं
- राज्य एवं NGO साझेदार आपसी विचार-विमर्श से यह तय करते हैं कि क्या अवैध कारोबार के माने गए पीड़ितों को अवैध कारोबारी से ख़तरा है
- अवैध कारोबार के माने गए पीड़ितों को मौखिक एवं लिखित रूप से उनकी अपनी भाषा में यह सूचित किया जाता है कि कानूनी कार्यवाही का अगला चरण क्या होगा
- कानूनी कार्यवाही के पहले, उस दौरान और उसके बाद अवैध कारोबार के माने गए पीड़ितों के साथ सेवा प्रदायक रखे जाते हैं
- अवैध कारोबार के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति, वित्तीय सहायता, या उनको पहुंची चोट, नुकसान, या हानि के लिए उनकी स्वदेश वापसी में सहयोग
- अवैध कारोबार के पीड़ित लोगों को, उनके स्थायी सामाजिक व आर्थिक पुनरेकीकरण में सहयोग देने तथा उनके विरुद्ध बदले की कार्रवाई और अवैध कारोबार में उनको फिर से फंसाए जाने के जोखिम से संरक्षण प्रदान करने के लिए उनकी संरक्षण जरूरतों पर विचार आपराधिक न्याय प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद किया जाता है|

अनुभाग 4:

अवैध कारोबार के पीड़ितों को संरक्षण देने के संकेतों का सारांश

✓ **अवैध कारोबार के पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए मुख्य सिद्धांतों का अनुसरण करें**

- किसी राज्य में अनियमित रूप से प्रवेश या रहने या अवैध कारोबार के शिकार के रूप में किये गए किसी अपराध के लिए पीड़ितों को गिरफ्तार, आरोपित या अभियुक्त नाहीं बनाया जाना चाहिए|
- पीड़ित की पर्याप्त शारीरिक एवं मानसिक देखभाल की जानी चाहिए
- पीड़ित को किसी फौजदारी, दीवानी या अन्य कानूनी कार्यवाही के माध्यम से कानूनी या अन्य सहायता मिलनी चाहिए
- अवैध कारोबार के बाल-पीड़ितों को उनकी विशेष संवेदनशीलता, अधिकार व जरूरतों के अनुरूप समुचित सहायता एवं संरक्षण दिया जाना चाहिए
- पीड़ितों को भेजने तथा स्वीकार करनेवाले राज्यों के द्वारा उनकी सुरक्षित (और यथासंभव स्वैच्छिक) वापसी की गारंटी दी जानी चाहिए
- पीड़ितों के लिए प्राभावी एवं समुचित कानूनी उपाय किये जाने चाहिए

✓ **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार संरक्षण को क्रियान्वित करें;** राज्यों को उन राज्यों के उदाहरणों का अनुकरण करना चाहिए जो व्यक्तियों के अवैध कारोबार संबंधी प्रोटोकॉल के न्यनतम मानक से कहीं आगे निकल चुके हैं, जैसे, आपराधिक प्रक्रिया के अतिरिक्त और इसके दायरे से बाहर क्षतिपूर्ति योजना लागू करना

✓ **यह सुनिश्चित करें कि संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण पीड़ित-केन्द्रित है| :** यह सुनिश्चित करें कि अवैध कारोबार से पीड़ित व्यक्तियों के संरक्षण के प्रति अपनाया गया दृष्टिकोण 'पीड़ित-केन्द्रित' है,, जिसमें पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा और तत्संबंधित जानकारी की गोपनीयता सर्वोपरि होनी चाहिए | पीड़ित संरक्षण कार्यक्रम, बिना किसी भेद-भाव के अवैध कारोबार के सभी पीड़ितों पर लागू होना चाहिए और विशिष्ट गैर सरकारी संगठनो के प्रभावी सहयोगसे बड़ी उदारता के साथ पीड़ितों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए लागू किया जाना चाहिए |

✓ **पीड़ितों को संरक्षण दें, भले ही वे सहयोग दें या न दें:** राज्यों को पीड़ित संरक्षण के अपने दायित्वों को सर्वोपरि रखना चाहिए, भले ही उनका आव्रजन स्तर कैसा भी हो या आपराधिक न्याय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता हो या न हो |

✓ **अवैध कारोबार से पीड़ितों को आत्म-चिंतन की अवधि दें:** अवैध कारोबार से पीड़ित व्यक्तियों को उनके सदमें से बाहर लाने के लिए आत्मचिंतन के अवसर दें | आत्मचिंतन अवधि और सहायक समर्थन, भी दिया जाना चाहिए जिसमें अवैध कारोबार के सिलसिले में आवागमन हेतु अस्थायी वीसा, यह सोचे बिना दिया जाना शामिल है कि अवैध कारोबारियों के विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पीड़ित प्रतिभागी है ना नहीं|

✓ **सर्वोत्तम प्रथा के अनुसार मानव के अवैध कारोबार के पीड़ितों का संरक्षण करें मानवाधिकार उच्चायोग OHCHR के कार्यालय के दिशानिदेश 6 मानवाधिकार एवं मानव के अवैध कारोबार से संबंधित सिद्धांत एवं दिशानिदेशानुसार राज्यों तथा जहाँ सुसंगत हो, अंतर सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को निम्नानुसार विचार करना चाहिए:**

- यह सुनिश्चित करना कि पीड़ितों को किसी भी प्रकार से आव्रजन या अन्य कैद में नहीं रखा गया है
- यह सुनिश्चित करना कि पीड़ितों को कोई ऐसी सहायता एवं संरक्षण स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, जो वे नहीं चाहते|
- पीड़ित को यह सूचित करना कि उन्हें अपनी राष्ट्रीयता वाले देश के राजनायिकों या कोउन्सुलर प्रतिनिधियों से मिलने का अधिकार है
- अवैध कारोबारियों की धमकियों ,क्षति, या बदले की कार्रवाई से पीड़ितों को संरक्षण देना, उनकी निजता का सम्मान करते हुए उनकी पहचान को उजागर न करना

✓ **समूची आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दौरान जोखिमों का आकलन:** पीड़ित की संरक्षण ज़रूरतें मुक़दमे से पहले, दौरान और बाद में बदलती रहेंगी | तदनुसार, राज्य के लिए सर्वोत्तम प्रथा यह है कि वे प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में जोखिमों का मूल्यांकन करते रहें, ताकि पीड़ितों को दी जा रहीं संरक्षण सेवामें उनकी बदलती हुई संराक्षण ज़रूरतों के अनुसार प्रभावी फेर-बदल करना सुनिश्चित किया जा सके|

✓ **मानव के अवैध कारोबार के पीड़ितों एवं साक्षियों को मुक़दमे पूर्व की सहायता करते रहें:** व्यक्तियों के अवैध कारोबार से संबंधित प्रोटोकॉल के संरक्षण संबंधी उपबंधों में पीड़ितों और उनके साक्षियों के लिए मुकदमें पूर्व सहायता के न्यूनतम मानकों की व्यवस्था है | राज्यों को ऐसी सहायता देने हेतु एक औपचारिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए | जो सक्षम NGO तथा नागरिक समाज आपराधिक न्याय प्रणाली को समझते हैं और पीड़ितों को सहायता देने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हैं वे ऐसी सहायता सेवाएं प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं |

✓ **समूची आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों की सहायता करते रहें:** राज्य पीड़ितों को उनकी अपनी भाषा में, व्यापक जानकारी देते रहें कि उनके पास क्या विकल्प हैं, जिसमें कार्यवाही के दौरान साक्षी का काम भी शामिल है| उन्हें पीड़ितों को निष्पक्ष कानूनी सलाहकार भी सुलभ कराने के सघन प्रयास करने चाहिए, जो उन्हें उनके अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में अवगत कराते रहेंगे |

✓ **अवैध कारोबार के बाल पीड़ितों एवं साक्षियों के लिए भी संरक्षण उपाय करें: बाल-पीड़ितों के लिए स्वत:** उपलब्ध संवेदनशील व्यक्तियों को संरक्षण देने संबंधी उपाय एवं गवाहों की सहायता सुलभ कराने पर राज्यों को विचार करना चाहिए| अतिरिक्त संरक्षण दिए जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए , जैसे कि बाल-पीड़ितों तथा/या मुख्य गवाह के साथ हुए पुलिस के साक्षात्कारों के विडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करने की अनुमति | फिर भी, यदि बाल-पीड़ित अत्यधिक सदमें के दौर से गुजरें हों तो उनसे प्रतिभागिता की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए |

✓ **यह सुनिश्चित करें कि सहायता एवं संरक्षण उपाय प्रतिभागिता हेतु प्रलोभन नहीं हैं:** सहायता एवं संरक्षण उपाय इस तरह से सुलभ करवाए जाने चाहिए कि वे प्रलोभन न लगें, जो मुकदमें को कमज़ोर कर सकते हैं| आवास एवं वीसा सहित साक्षी को जो कुछ भी सुलभ कराया गया है उसका समुचित रिकॉर्ड युक्तिसंगत होना चाहिए और यदि सहायता के दुरुपयोग की कोई जानकारी मिले तो उसका निवारण तुरंत किया जाना चाहिए |

- **स्थायी संरक्षण समाधान के एक भाग के रूप में प्रभावी क्षतिपूर्ति प्रदान करे:** अवैध कारोबार के पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रक्रिया से बाहर भी क्षतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था है इस हेतु राज्यों को संसाधन जुटाने होंगे| यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अवैध कारोबार के गैर नागरिक पीड़ितों को भी क्षतिपूर्ति दी जा रही है -

- **अवैध कारोबार के पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय समन्वय तंत्र को औपचारिक स्वरुप प्रदान करें:** राष्ट्रीय समन्वय तंत्र तब अधिक प्रभावी होंगे जब उन्हें औपचारिक स्वरुप दिया जाएगा, जैसे, प्रत्येक पण धारक के विनिर्दिष्ट योगदान और कर्तव्यों की रूपरेखा देनेवाले MOU पर हस्ताक्षार के द्वारा औपचारिक स्वरुप देना |

- **समन्वय तंत्र को क्रियान्वित करें :** अंतर एजेंसी सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन स्तर पर समन्वय, मानव के अवैध कारोबार की रोकथाम एवं दमन से संबंधित राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर की किसी भी कार्यनीति की सफलता की पूर्वापेक्षा है| अच्छी प्रथा के उदाहरणों में स्तरीय क्रियान्वयन प्रक्रिया, नियमित बैठकें, विभिन्न पण धारकों द्वारा अनुमत एवं प्रयुक्त मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तंत्र शामिल हैं |

बाली प्रक्रिया

REGIONAL SUPPORT OFFICE
THE BALI PROCESS

संपर्क
क्षेत्रीय सहायक कार्यालय- बाली प्रक्रिया
27प्रक्रिं मंज़िल, राजनकर्ण बिल्डिंग
3,साउथ सथोरन रोड, सथोर्न बेंकाक 10120, थाईलैंड
Contact
Tel. +66 2 343 9477   Fax. +66 2 676 7337
info@rso.baliprocess.net

बाली प्रक्रिया

लोगों की तस्करी, व्यक्तियों का अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराध

http://www.baliprocess.net